कुरुक्षेत्र

मई 1994

तीन रुपये

गैट समझौता और कृषि

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत 80 लाख दिहाड़ियों के बराबर रोजगार के अवसर

हाल ही में प्रारंभ की गई सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत मार्च 1994 तक 79.25 लाख दिहाड़ियों के बराबर रोजगार के अवसर जुटाये जा चुके हैं, सबसे अधिक दिहाड़ियों की संख्या मध्य प्रदेश में 21.27 लाख है। जिसके बाद उड़ीसा में 14.85 लाख और पश्चिम बंगाल में 14.84 लाख दिहाड़ियां जुटाई गई हैं। अभी तक 1,819 के निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं तथा 6,994 निर्माण कार्यों पर काम चल रहा है।

केन्द्र ने अभी तक इस योजना के अंतर्गत तेइस राज्यों और चार संघ शासित प्रदेशों को 397.89 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इससे पूर्व सभी 27 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को पहली किश्त के रूप में 87 करोड़ 70 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।

यह योजना देश में 257 जिलों के उन 1755 ब्लाकों में चलाई जा रही है जहां संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली चल रही है। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लोगों के पंजीकरण परिवार कार्डों को जारी करने और परियोजनाओं की सूची बनाने आदि का काम पूरा कर लिया गया है।

सुनिश्चित रोजगार योजना, 2 अक्तूबर 1993 को प्रारंभ की गई थी। इसमें रोजगार के इच्छुक 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम उम्र के ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं को 100 दिनों के बराबर अकुशल मजदूरी का आश्वासन दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रति परिवार अधिकतम दो बालिगों को उन दिनों 100 दिनों के बराबर के रोजगार की गारंटी दी जाती है, जब खेती का काम नहीं होता तथा उन्हें रोजगार की जरूरत होती है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक रूप से समर्थ और काम की आवश्यकता वाले उन बालिगों को रोजगार दिलाना है जिन्हें खेती का काम न होने पर खेतों या सहायक धंधों में या सामान्य योजना/गैर योजना निर्माण कार्यों में रोजगार नहीं मिल पाता है। इसका एक उद्देश्य निरंतर रोजगार और विकास के लिए आर्थिक बुनियादी सुविधाओं और सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना भी है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस योजना के अंतर्गत किया जाने वाला व्यय केन्द्र और राज्यों के बीच 80 और 20 के अनुपात में वहन किया जाता है और इसे सीधे जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को जारी किया जाता है। केन्द्रीय अंश के जारी होने के पंद्रह दिनों के भीतर राज्यों को अपने हिस्से की राशि जारी करनी होती है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण इस राशि को बैंक या डाकघर में एक पृथक बचत खाते में रखते हैं। इसका उपयोग जिलाधीश के निर्देशानुसार योजना के क्रियान्वयन के लिए किया जाता है।

साभारः पत्र सूचना कार्यालय

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रमुख मासिक

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए। लघु कथाओं का भी स्वागत है। अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है। 'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने व अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

वर्ष 39 अंक 7 वैशाख-ज्येष्ठ 1915-16, मई 1994

कार्यकारी संपादक	:	**बलदेव सिंह मदान**
उप संपादक	:	**ललिता जोशी**

उप निदेशक (उत्पादन)	:	**एस.एम. चहल**
विज्ञापन प्रबंधक	:	**बैजनाथ राजभर**
व्यापार व्यवस्थापक	:	**जॉन नाग**
आवरण सज्जा	:	**के. के. शर्मा**

एक प्रति : 3.00 रु० वार्षिक चंदा : 30 रु०

फोटो साभार : रमेश चंद्र, फोटो प्रभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय

इस अंक में

गैट समझौता और कृषि 5
नवीन पन्त

महिला उत्थान की दिशा में महिला समृद्धि योजना : एक कदम 8
डा. गजेन्द्रपाल सिंह

नए बजट में ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन 9
सीताराम खोड़ावाल

लघु और कुटीर उद्योग 11
सूरज सिंह और प्रीति खन्ना

सहकारिता - ग्राम विकास का आधार 13
प्रो. उमरावमल शाह

राजस्थान : ग्रामीण विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन 16
कमल किशोर जैन

ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत 18
धनंजय चोपड़ा

टीस (कहानी) 20
डा. किरण बाला

महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े 22
शैलेन्द्र मोहित

बीमारी कहीं और इलाज कहीं 24
एस. पी. मितल

आइये, अबूझमाड़ को बूझें 26
कोशल किशोर चतुर्वेदी

ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने में "ट्राइसेम योजना" की भूमिका 29
डा. गणेश कुमार पाठक

बाल विवाह : युग का अभिशाप 30
चन्द्रकान्ता शर्मा

ट्राइसेम योजना - आगरा जनपद का मूल्यांकन 32
पी. के. शर्मा एवं एस के. शर्मा

प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण विकास मंत्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।
दूरभाष : 384888

क्या आप जानते हैं कि..??

- **आप अपनी मस्तिष्कीय क्षमताओं का 10% भी उपयोग नहीं कर रहे हैं.**
- **इन क्षमताओं के उपयोग में तनिक-सी वृद्धि कर आप चमत्कारिक व्यक्तित्व के स्वामी बन सकते हैं तथा सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच सकते हैं.**

मगर कैसे ?

- **इस तकनीक से परिचित कराती है आश्चर्यजनक कृति 'इयोमापा'**

इसमें समाहित प्रत्येक अध्याय आपकी विद्वता में क्रमोत्तर वृद्धि प्रदान करता है.

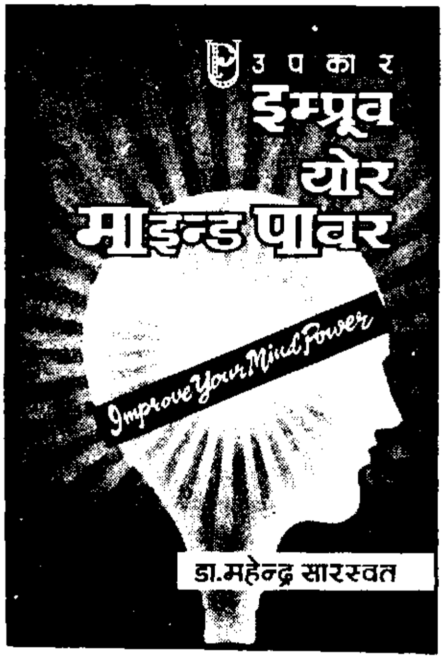

मूल्य : 45/- रूपए

आवश्यक चित्रों से सुसज्जित, आकर्षक मुद्रण, पुस्तक के रूप में यह विशिष्ट पाठ्यक्रम अत्यन्त सुगम, सटीक, संक्षिप्त एवं विश्वसनीय रीति से आपकी विद्वता में उल्लेखनीय वृद्धि करता है.

पावर यूनिट I : आपका मस्तिष्क—ऊर्जा का अनन्त स्रोत

- **'आपका नियन्त्रक अभियन्ता'** मस्तिष्क आरम्भ अपनी पहचान बढ़ाकर अनेक मिथ्याभासों का स्पष्टीकरण प्रदान करता है.
- **'मस्तिष्क को सुनिये'** तथा अपने मन की समस्याओं के प्रभावशाली निराकरण में सहयोगी बनाइये.
- **'मस्तिष्क शक्ति प्रवाहक अद्भुत कुँजी'** से अपनी समस्त सुविधाओं के ताले खोलकर सुगमता से सफलता महल में प्रवेश कीजिए.
- **'मानवीय कम्प्यूटर बनिये'** तथा अपनी क्षमताओं को सुपर कम्प्यूटर से भी अधिक परिमाणात्मक बनाइए.

पावर यूनिट II : आपका मस्तिष्क—एक सफलतम प्रतियोगी

- **'अतुलित मानसिक क्षमताओं से पहचान कीजिए'** तथा निर्देश सम्प्रेषण तकनीक, नेत्र अभिगम परिणाम तकनीक जैसी अनेक शक्तिशाली तकनीकों के अतिरिक्त विद्वतावर्द्धक अनेक विलक्षण यौगिक मुद्रा यथा ज्ञान मुद्रा, ज्ञान बिन्दुओं आदि से सहयोग प्राप्त कीजिए.
- **'अपनी स्मृति को सुदृढ़ आधार प्रदान कीजिए'** तथा स्मरण शक्ति को सक्षम प्रदायक सुगम क्रियाओं को अपनाइये.
- **'मस्तिष्क पर विश्वास कीजिए'** तथा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सम्मिलित होने की तकनीक जानिये.
- **'आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि कैसे करें'** इस विधा से आत्मसाक्षात्कार साक्षात्कार कीजिए.

पावर यूनिट III : मस्तिष्क शक्ति का अधिगम (Learning) में विनियोजन

- **'प्रभावशाली अध्ययन की विलक्षण तकनीक'** जानकर अपनी पठन गति (Reading Speed) में पहले अभ्यास में ही उल्लेखनीय वृद्धि कीजिए तथा पार्श्विक दृष्टिक्षेत्र में आश्चर्यजनक विकास कर अपने अध्ययन को प्रभावी बनाइये.
- **'कक्षा में नोट्स लेखन की प्रभावशाली तकनीक'** ऐसी अद्भुत तकनीक से आपका परिचय कराती है जो आपको प्रतिभाशाली व्यक्तित्व में रूपान्तरित कर सकती है.
- **'कक्षा में समय का सर्वाधिक सदुपयोग'** कर आप श्रेष्ठता सूची (Merit list) में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं.
- **'परीक्षा विजय हेतु अचूक रणनीति'** आपको परीक्षा प्रतियोगिताओं का सफल सामना करने की कला सिखाती है.

पावर यूनिट IV : मस्तिष्क शक्ति और आपका अभिनव शरीर

- **'जान है तो जहान है'** आपके शरीर के विभिन्न रोगोपचार के अतिरिक्त आपकी स्मृति में वृद्धि करने वाले विशिष्ट पोषण एवं विटामिनों से परिचय कराता है.
- **'कैसे कार्यकुशल रखें इस तन को'** यही नहीं मानसिक अलार्म लगाने की विधि भी जानिये.
- **'जानिये कि आप कितने जागरूक हैं'** तभी तो आप अपनी विद्वता का सटीक आकलन कर प्रभावशाली विकास प्रक्रिया का अनुगमन करने में सफल होते हैं.

परीक्षार्थियों के लिए अत्यावश्यक, इस शक्तिशाली ऊर्जा उपस्कर का प्रयोग कर अपनी सफलता को दुविधा रहित बनाइये

निकट के बुकस्टाल से आज ही खरीदिए अथवा 30 रु. का M. O. भेजकर V.P.P. द्वारा प्राप्त कीजिए.

उपकार प्रकाशन

2/11A, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा–282 002
फोन : 361015, 51002; फैक्स : (0562) 361014

पाठकों के विचार

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सम्पादित मासिक पत्रिका ''कुरुक्षेत्र'' का फरवरी, 94 का अंक प्राप्त हुआ। इसकी विषय सामग्री उपयोगी है। मुद्रण की दृष्टि से पत्रिका आकर्षक लगी। इस प्रयास के लिए मेरी ओर से साधुवाद स्वीकार करें।

सूरजभान सिंह,
अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय),
वेस्ट ब्लाक नं. 7, रामकृष्ण पुरम,
नई दिल्ली - 110066

ग्रामीण विकास एक ऐसा शब्द हो गया है जिसे सभी ने सुना तो है परंतु सही तरह समझा नहीं। सरकारी तौर से कई कार्यक्रम जो चलाये जा रहे हैं वे मात्र उन मुद्दों पर जोर दे रहे हैं जिनमें योजना मंत्रालय ने पूंजी दी है।

हमने पिछले 10 वर्षों से केवल 15 गांवों में अपने कार्य को सीमित कर बदलाव की ओर कदम किया है। कठिनाई बहुत है परंतु हम सभी मित्र एवं स्वयंसेवी भाई-बहनों ने, खासकर जिन्होंने शहर में पढ़ाई कर गांव में जाकर काम करने का प्रण लिया है, यह पाया कि पूरा ही जीवन कट जाएगा फिर भी वह कुछ नहीं कर पाएंगे, जो सोचा था।

हमने यह भी पाया कि गांव में जो विकास की परिभाषा है वह 'टी.वी. एवं विदेशी चीजों को इस्तेमाल करना' तक रह गयी है। आज के नौजवान इस बात में गर्व नहीं महसूस करते कि वे एक किसान हैं।

थोड़ा-सा पढ़ क्या लिए, समझते हैं कि ऑफिस में नौकरी करेंगे। इसीलिए अपने आप को बेरोजगार भी महसूस करते हैं। मैं समझती हूं कि इस भ्रम को मिटाकर ही हम ग्रामीण विकास की सही परिभाषा दे पायेंगे।

सी. पी. जयलक्ष्मी,
ऊर्जा पर्यावरण समूह,
कार्यकारी संपादक, विकल्प,
पोस्ट बैग नं. 4,
नई दिल्ली - 110024

मित्र के माध्यम से प्रथम बार - 'कुरुक्षेत्र' (फरवरी 94) की प्रति अवलोकन करने के लिये मिली। शासन, कितना सुंदर - उपादेय - सस्ता - प्रकाशन कर इस मान्यता को झूठला देता है कि वह कुछ नहीं कर रहा है। जो शासन पर आरोप लगाते फिरते हैं, उन्हें शासन के उपक्रम की स्वस्थ सुंदर पत्रिकाओं का अवलोकन कर लेना चाहिये। अच्छे प्रकाशन पर साधुवाद।

''छोटी किंतु गुणों से मोटी : हरड़'' एक उपयोगी तथ्यपरक सार्थक जानकारी देने वाला लेख है। कविता का मुख्य तत्व रस है और रसानुकूल वाणी मानवीय भावना को सात्विकता की ओर ले जाती है - ''फिर भी कुछ ऐसा लगता है'' नामक काव्य रचना पढ़ने पर लोक पक्ष और अध्यात्म-दर्शन पक्ष उभर आये हैं। ये पंक्तियां रेखांकित की जा सकती हैं :- ''दुनिया तो मेरे साथ ही है। फिर भी कुछ ऐसा लगता है। दूर बहुत मैं निकल गया हूं। पास ही आना बाकी है-'' इसी तरह — ''जो जागे हैं, शायद उनको/और जगाना बाकी है।''

अच्छी प्रस्तुति के लिये हार्दिक धन्यवाद। कुल मिलाकर आपका परिचर्चा अंक, सार्थक और अच्छा है।

ब्रजमोहन गुप्त 'इन्द्र नारायण'
अध्यक्ष, साहित्यकार कक्ष,
अ. भा. वैश्य महासम्मेलन,
साहित्य कुटीर, गणेश चौक,
छिन्दवाड़ा - 480001 (म० प्र०)

कुरुक्षेत्र जनवरी-94 में प्रकाशित ''साक्षरता एवं ग्रामीण विकास'' पर आधारित अंक अत्यन्त ही सारगर्भित एवं रोचक लगा। यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि शिक्षा ही विकास की धुरी है, विकासशील ग्राम्यप्रधान जनजीवन वाले राष्ट्र में तो शिक्षा ही साधन है, जो विकास रूपी गाड़ी के पहियों के समान कार्य करता है। यद्यपि आज भी साक्षरता का स्तर हमारे यहां पर्याप्त नहीं है, फिर भी समय-समय पर सरकार के ठोस प्रयासों ने जनमानस को शिक्षा के लिए प्रेरित किया है।

शिक्षा का तात्पर्य सिर्फ प्रचार-प्रसार व स्कूल, कालेजों की स्थापना से ही नहीं है, इसके लिए वृहत रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जन-जागरण अभियान चलाना होगा। सर्वप्रथम तो शिक्षा की महत्ता एवं उसके लाभ से प्रत्येक नागरिक को अवगत कराना होगा, इस दिशा में प्रौढ़ शिक्षा एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेष प्रयोजन के रूप में सरकार को प्राइमरी शिक्षा अभियान व्यापक रूप से चलाना होगा। स्त्री, जो की समाज के विकास की अग्रणी है,

सर्वप्रथम उसे साक्षर करना होगा। नारी-शिक्षा की प्राथमिकता विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में, विकास का महत्वपूर्ण कदम होगा।

"साक्षरता-अभियान" ही समाज में व्याप्त बाल-विवाह, जनसंख्या वृद्धि, मृत्यु दर की अधिकता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का अभाव जैसी अनेक खामियों को दूर कर सकता है। एक मापदंड के रूप में मैं कहना चाहूंगी कि यदि देश का हर एक साक्षर एक निरक्षर को साक्षर बनाने का संकल्प कर ले तो वह दिन दूर नहीं जब हम पूर्ण विकास के शिखर पर होंगे।

श्रीमती नीलिमा मिश्रा,
प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग,
अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद

"कुरुक्षेत्र" का फरवरी-94 अंक पढ़ने को मिला। उसके अध्ययन के पश्चात यह महसूस हुआ कि यह गांवों की वास्तविक समस्या को उजागर करने का सकारात्मक प्रयास है। भारत गांवों का देश है और देश की दो-तिहाई जनसंख्या गांवों में निवास करती है। गांवों के विकास से देश का वास्तविक विकास संभव है। यद्यपि भारत इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने जा रहा है लेकिन अभी भी इसके गांव सोलहवीं सदी में जीने को मजबूर हैं। यहां के कृषक कभी अनावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि के शिकार बने रहते हैं। यदि सिंचाई की समुचित सुविधा सभी जगह समान रूप से पहुंचाई जाए तो कृषि की उत्पादकता में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। गांव के अर्द्ध-बेरोजगारों के लिए व्यापक पैमाने पर कार्य के अवसर प्रदान किया जाना अत्यावश्यक है। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये कार्यों के कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं किंतु इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

मुझे उम्मीद है कि 'कुरुक्षेत्र" द्वारा उजागर किये गये तथ्यों पर समुचित ध्यान दिया जायेगा और "भारत की आत्मा" कहा जाने वाला गांव विकास के क्षितिज पर हमेशा अग्रसर रहेगा।

कृष्ण कुमार मिश्र,
ई/16, मगध विश्व विद्यालय, बोध गया-824234 (बिहार)

महिला समृद्धि योजना से पांच लाख से अधिक महिलाओं ने लाभ उठाया

पिछले वर्ष 2 अक्तूबर को आरम्भ महिला समृद्धि योजना से अब तक 5.38 लाख से अधिक महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं तथा इस अवधि में 7.47 करोड़ रुपये से अधिक धन जमा हो चुका है।

यह योजना पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसरण में चालू की गई। महिलाओं को अधिक अधिकार देने के उद्देश्य से चलाई गई इस योजना में प्रत्येक बालिग ग्रामीण महिला ग्रामीण डाकघर में महिला समृद्धि योजना खाता खोल सकती है तथा आवश्यकता पड़ने पर इस से राशि निकाल भी सकती है। एक वर्ष में अधिकतम 300 रुपये पर सरकार 25 प्रतिशत यानी 75 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान करेगी। महिला और बाल विकास विभाग इस योजना के लिए केन्द्रीय विभाग का काम कर रहा है और यह योजना डाक विभाग के ग्रामीण डाकघरों के जरिए चलाई जा रही है। जरूरी नहीं है कि सारी राशि एकमुश्त जमा कराई जाए। लाभार्थी कम से कम चार रुपये की राशि जमा कर सकता है।

देश के सभी भागों में इस योजना का स्वागत हुआ है ओर इसे सफल बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर इसकी समीक्षा की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय स्तर पर योजना आयोग में एक निगरानी दल स्थापित किया गया है। पश्चिम बंगाल, गोवा, नगालैंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के आठ राज्यों में समीक्षा समितियां गठित हो चुकी है।

इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए महिलाओं के विकास में लगे गैर- सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा हैं सभी केन्द्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में काम करने वाले गैर - सरकारी संगठनों का सहयोग लेने का प्रयास करें। आंगनवाड़ी कर्मचारियों समेत समन्वित बाल विकास योजना के कार्यकर्ता भी इस योजना को सफल बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं।

साभार : पत्र सूचना कार्यालय

गैट समझौता और कृषि

✍ नवीन पन्त

गैट समझौते की कृषि संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर तरह-तरह की चिन्ताएं व्यक्त की जा रही हैं। आरोप है कि समझौते का पहला शिकार किसान बनेंगे। समझौते की व्यवस्थाएं लागू होने के बाद किसानों को बहुत अधिक दरों पर बीज खरीदने पड़ेंगे। वे अपनी फसल के बीजों की बिक्री और अदला-बदली नहीं कर सकेंगे। कृषि क्षेत्र को मिलने वाली सरकारी सहायता बंद हो जाएगी। सरकार को कृषि क्षेत्र के विकास की सभी योजनाएं बंद करनी पड़ेंगी। विदेशों से बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात शुरू हो जाएगा और भारतीय किसानों को हर तरह से परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

ये आशंकाएं या तो अज्ञान के कारण प्रकट की जा रही हैं अथवा स्वार्थसाधन वश जानबूझ कर भ्रम पैदा करने के लिए फैलाई जा रही हैं। गैट समझौते के बाद किसानों के परंपरागत अधिकारों में कोई कमी नहीं आएगी। वह अपनी फसल के लिए केवल "पेटेंट" बीज खरीदें ऐसी कोई बाध्यता नहीं होगी। कृषि विकास के कार्यक्रम पहले की तरह चलते रहेंगे।

अन्नदाता किसान

किसान भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड हैं। आज भी हमारी अर्थव्यवस्था का मूलाधार कृषि है। वास्तव में भारतीय किसान हमारे अन्नदाता हैं। उनके प्रयत्नों से देश में खाद्यान्नों का उत्पादन जो 1947 में 5 करोड़ टन था, अब बढ़कर 18 करोड़ टन हो गया है। किसानों ने न केवल देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया है बल्कि अब हम कुछ किस्म के खाद्यान्नों का निर्यात भी करने लगे हैं। अगर किसानों को उचित सहायता, परामर्श और साधन उपलब्ध होते रहेंगे तो वह देश को एक दिन कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना देंगे।

सरकार कृषि विकास और किसानों के हितों की रक्षा को सबसे महत्त्वपूर्ण समझती है। अतः यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह किसानों के परंपरागत अधिकारों में कमी करने की किसी व्यवस्था को स्वीकार करेगी। तथापि, वस्तुस्थिति जानने के लिए गैट समझौते की प्रासंगिक व्यघस्थाओं को देखना उचित होगा।

गैट समझौते में कृषि पर दी जा रही सरकारी सहायता (सब्सिडी) में कमी करने की व्यवस्था है। इस सहायता को दो वर्गों में बांटा गया है। गैर-उत्पाद विशिष्ट सहायता और उत्पाद विशिष्ट सहायता। गैर उत्पाद विशिष्ट सहायता में आते हैं उर्वरक, पानी, बिजली, बीज, कीड़ामार दवाओं और सभी फसलों के लिए उपलब्ध ऋण की व्यवस्था। उत्पाद विशिष्ट सहायता में आते हैं खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य। इन दोनों वर्गों की सहायता को जोड़ दिया जाता है।

समझौते में सरकारी सहायता में कमी के लिए विकसित और विकासशील देशों को दो वर्गों में बांटा गया है। अधिकतम सरकारी सहायता की राशि, जो कृषि क्षेत्र को दी जा सकती है, विकासशील देशों के लिए 10 प्रतिशत और विकसित देशों के लिए 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। विकासशील देशों को कृषि क्षेत्र की सरकारी सहायता में तभी कमी करनी होगी, अगर उनकी सहायता कृषि उत्पाद के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक हो। यह हिसाब लगाने के लिए 1986, 1987 और 1988 को आधार वर्ष माना गया है।

किसानों को सहायता में कमी नहीं

हमें किसानों को दी जा रही सरकारी सहायता में कोई कमी नहीं करनी होगी क्योंकि हम इस समय किसानों को दोनों तरह की जो सहायता दे रहे हैं, उसका जोड़ 10 प्रतिशत से कम है। अनुमान है कि यह 7 प्रतिशत के आसपास है। अतः हम चाहें तो किसानों को दी जा रही सहायता में कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं।

इसके विपरीत कुछ विकसित देशों को किसानों को दी जा रही सहायता में काफी कमी करनी पड़ेगी। विकसित देश कृषि क्षेत्र में दो तरह की सहायता दे रहे हैं। वे किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए उदार सहायता दे रहे हैं। फिर वे कृषि उत्पादन के निर्यात के लिए सहायता दे रहे हैं। इससे कृषि जिंसों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार गड़बड़ा गया है। वह बाजार की सही स्थिति को प्रकट नहीं करता। विकसित देशों द्वारा कृषि क्षेत्र को सहायता में कमी से भारत जैसे विकासशील देशों को नई मंडियों में प्रवेश

मिलेगा और वर्तमान मंडियों में उनका हिस्सा बढ़ेगा।

गैट समझौते में खाद्यान्न व्यापार के लिए मंडी खोलने की व्यवस्था है। लेकिन ये व्यवस्थाएं उन देशों पर लागू नहीं होती जो भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और जिन्होंने वस्तुओं के आयात पर मात्रा संबंधी प्रतिबंध लगा रखे हैं। समझौते के बाद कुछ देशों को खाद्यान्नों के आयात के लिए अपने बाजार खोलने पड़ेंगे। इस तरह के देशों में कोरिया और जापान प्रमुख हैं। भारत को खाद्यान्न आयात के लिए अपनी मंडियों के द्वार नहीं खोलने पड़ेंगे।

विकासशील देशों को जो भुगतान संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और जिन्होंने विदेशी मुद्रा का खर्च रोकने के लिए आयात पर मात्रा संबंधी नियंत्रण लगा रखे हैं, खाद्यान्नों के आयात पर सीमा शुल्क लगाकर अपने हितों की रक्षा करने की छूट है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह खाद्यान्नों पर 100 प्रतिशत, संसाधित खाद्य पदार्थों पर 150 प्रतिशत और खाद्य तेलों पर 300 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाएगा। अतः इस आशंका का कोई आधार नहीं है कि विदेशी खाद्यान्नों के आयात से किसानों के हितों को ठेस पहुंचेगी।

किसानों को दी जा रही सहायता की गणना करते समय कृषि विकास के इन प्रमुख कार्यक्रमों को परिभाषा से अलग रखा गया है : अनुसंधान, पौध संरक्षण और रोग नियंत्रण, विस्तार सेवाएं, प्रशिक्षण, बुनियादी सुविधाओं के लिए व्यवस्था (पूंजीगत लागत), क्षेत्रीय सहायता कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण, घरेलू खाद्य सहायता, प्राकृतिक विपदाओं से रक्षा के लिए फसल बीमा योजना, निवेश सहयोग के जरिए संरचनात्मक समायोजन मदद, आमतौर पर उपलब्ध निवेश सहायता और कम आय वर्ग और साधन विहीन किसानों के लिए निविष्टि सहायता (केवल विकासशील देशों के लिए)।

गैट समझौते में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था या उचित दर की दुकानें कृषि पर समझौते की परिधि से बाहर हैं। अतः सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी और शहरी तथा ग्रामीण गरीबों को पूर्ववत रियायती दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति होती रहेगी। इसी के साथ गैट समझौते में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो राज्य सरकारों को किसानों की भलाई के कार्यक्रम चलाने से रोके। राज्य सरकारें पहले की तरह किसानों के कल्याण की नीतियां और कार्यक्रम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

पौध संरक्षण : बीजों का प्रश्न

समझौते के "व्यापार से संबंधित बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार" संबंधी व्यवस्थाएं उत्पादों के पेटेंट की व्यवस्था करती हैं। बीजों से संबंधित व्यवस्था इसी के अंतर्गत आती है। इसमें हमें, पशुओं और पौधों को ऐसे पेटेंट से अलग रखने का विकल्प है। इस समय हमारा कानून उत्पाद पेटेंट की अनुमति नहीं देता। उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद अब हमें ऐसे पेटेंट देने की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए हमें दस वर्ष का समय दिया गया है।

पेटेंट व्यवस्था को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि किन वस्तुओं का पेटेंट कराया जा सकता है। इस विषय में स्थिति यह है कि केवल उसका पेटेंट कराया जा सकता है जो नया हो, जिसमें आविष्कार की क्रिया शामिल हो और जिसका औद्योगिक इस्तेमाल किया जा सकता हो। इसी तरह इनका पेटेंट नहीं कराया जा सकता : पौधे, जानवर, मनुष्यों और जानवरों के उपचार की नैदानिक, चिकित्सीय और शल्यक प्रणाली, पौधे के उत्पादन और पशुओं के प्रजनन के लिए मूल रूप से जैविक प्रणाली, और आविष्कार जिनके व्यापारिक दोहन से नैतिकता, मानव, पशु और पौध जीवन और पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो।

इस तरह यह स्पष्ट है कि पौधों और जानवरों का पेटेंट नहीं लिया जा सकता। तथापि, गैट समझौते के परिणामस्वरूप अब सरकार ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है जिससे नये किस्म के पौधों का विकास करने वाले वैज्ञानिकों और प्रजनकों के हितों की रक्षा की जा सकेगी। यह नया कानून पौधों की नई किस्मों पर लागू होगा। नई पौध को संरक्षण देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उससे उपज में उल्लेखनीय और महत्त्वपूर्ण वृद्धि होगी। इस कानून के बन जाने से किसानों के वर्तमान अधिकारों में कोई कमी नहीं आएगी।

किसान बाजार से मोलभाव करके अपनी पसंद का बीज खरीद सकेंगे। वह उस बीज से तैयार फसल से अगली बुवाई के लिए बीज रख सकेंगे। वह अपना फालतू बीज बेच सकेंगे लेकिन वह संरक्षित बीजों (ब्रांड नाम) से तैयार बीज नहीं बेच सकेंगे। किसान संरक्षित बीज के मालिक की अनुमति से संरक्षित बीजों के उत्पादक

और विक्रेता भी बन सकते हैं।

समझौते में कहा गया है कि समझौता करने वाले देश पौध किस्म की रक्षा या तो पेटेंट या प्रभावी "स्वे जेनेरिस (विशेष वर्ग)" व्यवस्था से या दोनों को मिलाकर करेंगे। समझौते के लागू होने के चार वर्ष बाद इस व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाएगा। "इस तरह भारत पर पौधों और बहुलीकरण (बीज और अन्य) सामग्री को पेटेंट कराने की कोई अनिवार्यता नहीं है।

स्वेई जेनेरिस व्यवस्था

स्वेई जेनेरिस व्यवस्था पेटेंट से पृथक है। स्वेई जेनेरिस संरक्षण का अर्थ पेटेंट जैसी प्रणाली से अलग किसी अन्य व्यवस्था से बौद्धिक सम्पत्ति की रक्षा करना है। पेटेंट प्रणाली और स्वेई जेनेरिस प्रणाली का मुख्य अंतर 1978 के यूपीओवी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार प्रजनक सामग्री का व्यापारिक प्रयोजनों के लिए बहुलीकरण रोकना है, जबकि पेटेंट प्रणाली स्वंतः हर तरह के उत्पादन पर रोक लगाती है। 1978 के यूपीओवी समझौते के अनुसार शुरू में केवल पांच किस्मों को संरक्षित किया जाएगा। अगले आठ वर्षों के दौरान इन्हें बढ़ाकर 24 कर दिया जाएगा; संरक्षण 15 से 18 वर्ष के लिए दिया जाएगा; संरक्षण में व्यापारिक बिक्री के लिए उत्पादन और बिक्री के प्रस्ताव करना शामिल है। समझौते में यह व्यवस्था भी शामिल है कि प्रयोगिक कार्यों और किसानों को अपनी उपज से अगली फसल के बीज रखने की अनुमति देने के लिए पौध प्रजनकों के अधिकारों में कमी की जा सकती है।

अगर पौधों की किस्में पेटेंट से संरक्षित की जाती हैं तो संरक्षित बीज की खरीद करने वाला किसान अपनी उपज से अगली फसल के लिए बीज नहीं रख सकता। 1978 की यूपीओवी स्वेई जेनेरिस व्यवस्था में वह ऐसा कर सकता है। अभी इस संबंध में भ्रम की स्थिति है। सरकार इस विषय में कानून के मसौदे पर विचार कर रही है। इस कानून के बनने के बाद सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। गैट समझौता की व्यवस्थाएं 1995 से लागू होंगी। हम छह महीने का नोटिस देकर किसी भी समय गैट समझौते से अलग हो सकते हैं। लेकिन गैट की सदस्यता फिर से प्राप्त करने में हमें वर्षों लग जाएंगे।

गैट समझौते का हमारे किसानों के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि इससे कृषि जिंसों के निर्यात, देश में कृषि अनुसंधान और अधिक उपज देने वाली फसलों के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

हमारी कृषि विकास की सभी प्रमुख योजनाएं समझौते की व्यवस्थाओं से बाहर हैं। गैट समझौते के लागू हो जाने के बाद हमें किसानों को दी जा रही सब्सिडी (सहायता) में कोई कमी नहीं करनी होगी। हमें किसी भी देश की कृषि उपज के लिए अपनी मंडियों के द्वार नहीं खोलने होंगे। खाद्यान्नों की वसूली (समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की खरीद), खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्यान्नो के भंडार बनाना और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (उचित दर की दुकानों) को मिलने वाली सरकारी सहायता में कोई कमी नहीं आएगी।

गैट समझौता लागू होने के बाद

- किसानों को उर्वरकों, पानी, बिजली, बीज कीड़ामार दवाओं आदि पर मिलने वाली सब्सिडी में कोई कमी नहीं होगी।
- विकसित देशों द्वारा सब्सिडी में कमी करने से कृषि उत्पादों का व्यापार बढ़ेगा।
- हमें खाद्यान्नों के आयात के लिए अपनी मंडियों के द्वार नहीं खोलने पड़ेंगे।
- सार्वजनिक वितरण व्यवस्था या उचित दर की दुकानों पर गैट व्यवस्था का कोई असर नहीं पड़ेगा।
- खाद्य सुरक्षा के लिए पहले की तरह खाद्यान्न भंडार बनाये जाएंगे।
- किसान अपनी फसल से अगली फसल के लिए बीज रख सकेंगे, उसकी अदला-बदली कर सकेंगे और फालतू बीज बेच सकेंगे।
- किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार स्वेई जेनेरिस प्रणाली के अन्तर्गत विशेष कानून बनाएगी।

22, मैत्री एपार्टमेंट्स,
ए/3, पश्चिम विहार,
नई दिल्ली - 110063

महिला उत्थान की दिशा में महिला समृद्धि योजना : एक कदम

✍ डा० गजेन्द्रपाल सिंह
अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, कुवर सिंह महाविद्यालय, बलिया

देश के गौरव को ऊंचा उठाने तथा पुरुषों को यथोचित सम्मान दिलाने में भारतीय नारियों का अपना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। वर्तमान भौतिकवादी अर्थ प्रधान युग में महिलाएं, विशेषकर ग्रामीण महिलाएं अशिक्षा, अज्ञानता, रूढ़िवादिता और अन्ध विश्वास आदि कारणों से उत्पीड़न व शोषण का शिकार होते हुए अभाव और कुंठाग्रस्त जीवन व्यतीत करने को बाध्य रही हैं। ऐसी परिस्थिति में महिला समाज की समृद्धि व भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र व संतुलित विकास के लिए यह परमावश्यक है कि देश की आधी जनसंख्या–महिलाओं की श्रम शक्ति, कौशल व उत्पादन क्षमता का अधिकाधिक अनुकूल उपयोग किया जाए ताकि देश के आर्थिक विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए उनमें आत्मनिर्भर और समृद्ध जीवन व्यतीत करने की कल्पना को साकार रूप दिया जा सके। इसी भावना से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री श्री पी० वी० नरसिम्ह राव ने 2 अक्तूबर 1993 को "महिला समृद्धि योजना" की घोषणा की।

योजना के उद्देश्यः

1. देश की 70 प्रतिशत महिलाओं को जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही हैं, विकास की मुख्य धारा से जोड़ना।
2. महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना।
3. ग्रामीण महिलाओं में बैंकिग/डाकघर संबंधी (धन जमा करने व निकालने) आदतों का विकास।
4. ग्रामीण महिलाओं की छोटी-मोटी बचतें जिन्हें वे मिट्टी के बर्तन आदि में रखकर जमीन में गाड़ देती हैं या धन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ऐसे व्यक्तियों के पास रख देती हैं, जिनके द्वारा वह धनराशि हड़प लिये जाने का खतरा होता है, उस धनराशि को नष्ट होने या हड़प लिये जाने से बचाना।
5. ग्रामीण महिलाओं में मितव्ययिता की भावना का विकास करना।
6. ग्रामीण महिलाओं में आत्मनिर्भरता व आर्थिक स्वतंत्रता की भावना विकसित करना।
7. ग्रामीण बचतों का देश के विकास में समुचित उपयोग।
8. प्रत्येक तीन सौ रुपये जमा की गयी धनराशि पर 25 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि (75 रुपये) उपलब्ध कराकर महिला समाज को समृद्धि की ओर अग्रसर करना।

योजना का कार्यान्वयन

महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण महिला को लाभान्वित करने के लक्ष्य को स्वीकार किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण वयस्क महिला डाकघर जाकर महिला समृद्धि योजना खाता खोलेगी तथा इस खाते में प्रतिवर्ष 300 रुपये की धनराशि जमा करेगी। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पूरी 300 रुपये की धनराशि एक साथ ही जमा की जाए। पर ग्रामीण महिलाओं में बचत की प्रवृति को प्रोत्साहित करने के लिए यह सुविधा प्रदान की गयी है कि वे यह राशि सुविधानुसार किस्तों में जमा कर सकती हैं। महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने की तिथि को ही खाते में जमा धनराशि परिपक्वता की तिथि और वर्ष के अंत में देय प्रोत्साहन राशि का स्पष्ट उल्लेख होगा। इस योजना के अंतर्गत लगातार एक वर्ष तक 300 रुपये की जमा धनराशि पर सरकार द्वारा 25 प्रतिशत की राशि अर्थात् 300 रुपये पर 75 रुपये ब्याज के रूप में प्रत्येक लाभार्थी महिला को उपलब्ध कराये जायेंगे। इस योजना के अंतर्गत खाताधारक के खाते से वर्ष में दो बार धन निकालने की छूट की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिला को किसी अन्य योजना के अंतर्गत खाता खोलने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है पर यदि कोई लाभार्थी महिला एक वर्ष पूरा होने के पूर्व ही खाते से कुछ धनराशि निकालती है तो उसे मात्र 12 प्रतिशत की दर से ही प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार वर्ष 1993-94 में

शेष पृष्ठ 17 पर

नए बजट में ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन

✍ सीताराम खोड़ावाल

बजट किसी भी सरकार का ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें खट्टे, मीठे, चटपटे सभी स्वाद समाए होते हैं। केन्द्र सरकार के नए बजट में भी ये सारे जायके विद्यमान हैं। नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर विपक्ष का बजट पर असंतोष प्रकट करना स्वाभाविक है। सत्ता पक्ष का भी धर्म होता है कि वह अपनी सरकार के उचित-अनुचित कार्यों पर सरकार की रक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़ी रहे। मौजूदा बजट के विषय में भी प्रतिक्रियाएं कोई भिन्न नहीं होनी थीं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने तो यहां तक कह डाला कि डा० मनमोहन सिंह ने योजना आकार में जो 13 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव किया है वह छलावा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार है कि कृषि और रोजगार के लिए तय की गई बढ़ी हुई धनराशि से कोई लाभ नहीं होने वाला है। फिर मार्क्सवादी पार्टी का कथन है कि ग्रामीण विकास में खर्च होने वाली 40 प्रतिशत बढ़ोतरी बजट का असली चरित्र छिपाने के लिए की गई है। जनता दल के नेताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी की तरह बजट को डंकेल की सिफारिशों की स्वीकृति ही घोषित किया है। उनका कहना है कि बजट में धनिक वर्ग को तो काफी कुछ दिया गया है किंतु गरीब के लिए तो यह ठन ठन गोपाल ही रहेगा।

वित्त मंत्री डा० मनमोहन सिंह का अपने चौथे बजट के विषय में कहना है कि हमें अपनी विकास नीतियों और कार्यक्रमों को ऐसा स्वरूप देना चाहिए ताकि गरीबी और बेरोजगारी तथा सामाजिक नुकसान वाली समस्याओं को अनुकूल मोड़ दिया जा सके। उनका कथन है कि ग्रामीण विकास के लिए जितना धन दो वर्ष पूर्व रखा जाता था आज हमने उससे दुगने धन की व्यवस्था की है। स्वयं डा० मनमोहन सिंह के शब्दों में — "केन्द्रीय योजना हेतु बढ़ाई गई बजटीय सहायता मुख्यतः ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा महिला और बाल विकास तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के उच्च परिव्यय को पूरा करने के लिए प्रदान की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार सृजन और पूंजी निर्माण की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं तथा ग्रामीण निर्धनता को तेजी से कम करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के परिव्यय, जो कि 1993-94 के बजट अनुमान में 5,010 करोड़ रुपये था, को बढ़ाकर 1994-95 में 7,010 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत की भारी वृद्धि का द्योतक है। 1992-93 के बजट अनुमान में ग्रामीण विकास के लिए 3,100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। दो वर्ष में हमने इस प्रावधान को दुगुने से भी अधिक कर दिया गया है। 15 अगस्त, 1993 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित सुनिश्चित रोजगार योजना, जिसे 1752 निर्धारित ब्लाकों में कार्यान्वित किया जा रहा है, के लिए 1,200 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जबकि 1993-94 में यह राशि 600 करोड़ रुपये थी। इसी प्रकार, जवाहर रोजगार योजना के लिए आवंटन राशि 1993-94 के बजट अनुमान में 3,306 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1994-95 में 3,855 करोड़ रुपये कर दी गई है। अनुमान है कि 1994-95 में 115 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन किया जाएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल योजना सहित त्वरित ग्रामीण जलआपूर्ति कार्यक्रम के लिए आवंटन को भी वर्ष 1994-95 में 150 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है।

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मेरूदंड है। आजादी के बाद हमारी जनसंख्या में जिस तेज गति से बढ़ोतरी हुई है यदि हमारी कृषि नीति और किसानों की मनोवृत्ति में क्रांति न आई होती तो हमारी अर्थव्यवस्था आज रसातल को पहुंच गई होती। आज हमारी हालत वही होती जो कई अफ्रीकी देशों में मौजूद है जहां भुखमरी, बीमारी और लूटमार से धरती पर नरक उतर आया है। कोई जमाना था कि हमारा किसान बाबा आदम के जमाने से चला आ रहा कृषि का ढर्रा बदलने को राजी नहीं था। न वह उर्वरक इस्तेमाल करना चाहता था न कीटनाशक। मरियल बैलों से हल चलाता, पानी राम भरोसे होता और किसान लगान तक चुकाने की स्थिति में न होता। आज बात दूसरी है। उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई और आधुनिक यंत्रों की सहायता से जहां प्रत्येक फसल से अधिक उत्पादन होना आरंभ हुआ है वहीं फसल चक्र भी तीव्र हो गया है। अब अधिक समय खेत खाली नहीं पड़े रहते। साल में तीन-तीन फसल एक ही खेत से ली जाने लगी हैं। इस क्षेत्र का डा० मनमोहन सिंह ने बहुत ध्यान रखा है। उन्होंने कृषि के

लिए 1994-95 में परिव्यय 2,005 करोड़ रुपये निर्धारित किया है। उद्यान विकास पर काफी बल दिया जा रहा है जिसके अंतर्गत आवंटन में 42 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे बजट अनुमान 1993-94 में 130 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1994-95 में 184 करोड़ रुपये किया गया है। ड्रिप सिंचाई में प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ाने की एक बड़ी योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसके लिए 1994-95 के दौरान 45 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ परिव्यय रखा गया है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का दूसरा आधार होता है ग्रामीण उद्योग। इस क्षेत्र पर सरकार का इरादा एक अरब 45 करोड़ रुपये खर्च करने का है। यदि सरकारी तंत्र चुस्ती और दुरुस्ती से कार्य करे और भ्रष्टाचार तथा लालफीताशाही पर लगाम लगाई जा सके तो यह धनराशि कुछ कम नहीं है। दिन प्रतिदिन शिक्षित बेरोजगारों की जो कतार बढ़ती जा रही है यदि उनमें से कुछ को अपने ही रोजगार चलाने के लिए प्रेरित किया जा सके तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को एक संबल मिल सकता है। एक निष्क्रियता को उत्पादक सक्रियता में परिवर्तित किया जा सकता है। वित्त मंत्री इससे परिचित हैं। इसलिए उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा: "उद्योग, सेवा और व्यवसाय उद्यमों के माध्यम से 7 लाख छोटे उद्यमों की स्थापना द्वारा देश में दस लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी. एम. आर. वाई) 2 अक्टूबर, 1993 को आरंभ की गई थी। इस योजना में 1993-94 के दौरान शहरी क्षेत्रों और 1994-95 से आगे पूरे देश को शामिल करने का विचार है। इसके लिए 1994-95 में 145 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।"

किसी देश का विकास चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो अथवा सांस्कृतिक हो, उस देश की शिक्षा क्षेत्र में जागृति और क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। भारत में अन्य क्षेत्रों की भांति शिक्षा के स्तर और उसके विस्तार के संबंध में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आज हमारे देश में इस बात की होड़ सी लगी है कि कौन सा जिला या राज्य पहले पूर्ण साक्षर घोषित हो। वित्त मंत्री ने शिक्षा कार्यों पर पहले से साढ़े सत्रह प्रतिशत से अधिक बढ़ी हुई राशि की व्यवस्था करके इस तथ्य को स्वीकार किया है। इसीलिए डा० मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में कहा : "आठवीं योजना में हमने मानव संसाधनों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। इस क्षेत्र के लिए अधिकतर परिव्यय राज्यों की आयोजनाओं में शामिल है। केन्द्रीय आयोजना में शिक्षा के लिए परिव्यय में 17.6 प्रतिशत की वृद्धि करके इसे 1994-95 में 1,541 करोड़ रुपये किया गया है। प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके वास्ते परिव्यय को 1993-94 के बजट अनुमान में 442 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1994-95 में 523 करोड़ रुपये किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए आवंटन को 1993-94 के बजट अनुमान में 159 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1994-95 में 209 करोड़ रुपये किया गया है। उच्च शिक्षा की प्रणाली में पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता का उन्नयन करने के लिए विशेष आवंटन किये गये हैं। एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और असम में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए भी व्यवस्था की गई है।"

ग्रामीण विकास तभी सार्थक कहा जा सकता है जबकि हमारे गांवों में स्वास्थ्य और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की जाए। आज जब विकसित देशों में जनता को आधुनिक से लेकर आधुनिकतम सुविधाएं प्राप्त हैं, उनकी बराबरी तो हम नहीं कर सकते फिर भी हमारे प्रयत्न तो इस दिशा में रचनात्मक और अनुकूल होने ही चाहिए। इस साल इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। 1993-94 में इस मद पर 4 अरब 83 करोड़ रुपये रखे गए थे जबकि 1994-95 में यह रकम बढ़ाकर 5 अरब 78 करोड़ रुपये कर दी गई है। यह वृद्धि उत्साहवर्धक है। वित्त मंत्री के शब्दों में : स्वास्थ्य के लिए परिव्यय में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 1993-94 के बजट अनुमान में 483 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1994-95 में 578 करोड़ रुपये किया गया है। अन्धत्व के नियंत्रण के लिए एक नवीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम अगले वर्ष से कार्यान्वित किया जाएगा। कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के लिए आवंटन को 1993-94 के बजट अनुमान में 35 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1994-95 में 94 करोड़ रुपये कर दिया गया है। एड्स का नियंत्रण और उपचार अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस संबंध में 1994-95 में 83 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई व्यवस्था की गई है।

परिवार कल्याण विभाग के लिए परिव्यय को भी 1993-94 के बजट अनुमान में 1,270 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1994-95 में 1,430 करोड़ रुपये किया गया है।

अनुसूचित जातियां और जनजातियां हमारे समाज की निर्बलतम कड़ियां हैं। इन जातियों को हजारों वर्ष से उपेक्षित रखा गया है। देश की लगभग एक चौथाई जनसंख्या आज तक गरीबी और शोषण के दो पाटों के बीच पिस रही है। इन जातियों के

(शेष पृष्ठ 15 पर)

लघु और कुटीर उद्योग

✍ सूरज सिंह और प्रीति खन्ना

भारत एक ग्राम प्रधान देश है। जिसके विषय में एक बार गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था," यदि तुम्हें भारत के बारे में जानना है तो सबसे पहले भारत के गांवों के बारे में जानिए।" इसी तरह के विचार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भी हैं। उनके शब्दों में "भारत गांवों में बसता है ....।" कहने का आशय है कि ग्राम्य अर्थ व्यवस्था समूची भारतीय अर्थ व्यवस्था की धुरी है, जहां देश की सर्वाधिक मानवीय सम्पदा मौजूद है। किंतु एक दुखद पहलू यह है कि ग्रामीण जनसंख्या आज छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी व निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने जैसी आर्थिक शब्दावलियों में स्वयं का अस्तित्व ढूढ़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे में लघु और कुटीर उद्योग ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान कर सकते हैं।

लघु एवं कुटीर उद्योगों का दर्शन

प्राचीनकाल से ही भारत विश्व अर्थव्यवस्था में औद्योगिक दृष्टि से सम्मुनत था। जब पूरा विश्व अर्द्ध सभ्य अवस्था में था उस समय भारत उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर आरूढ़ था। हमारे प्राचीन सामाजिक जीवन में कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प प्रधान तत्व थे। विभिन्न छोटी-बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति इन लघु एवं कुटीर उद्योगों से की जाती थी, देश में किसी प्रकार की आर्थिक असमानता, सामाजिक वर्ग संघर्ष जैसी कोई बात नहीं थी। यही कारण हो सकता है, पश्चिमी यूरोप की अनेक बर्बर जातियों का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट हुआ हो और भारत के विकास का रहस्य ढूंढ़ निकालने के लिए उन्होंने देश पर या तो आक्रमण किए या फिर व्यापारिक समझौते किए। किंतु सत्रहवीं शताब्दी के आते-आते देश के लघु और कुटीर उद्योगों को जैसे ग्रहण लग गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से देश के लघु और कुटीर उद्योग हतोत्साहित हुए। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रान्ति ने तो जैसे इनकी कमर ही तोड़ दी, मशीनीकरण से भारी पूंजीगत सामग्री का उत्पादन करने वाले उद्योगों को तो प्रोत्साहन दिया गया किंतु लघु उद्योगों की ओर से मुंह मोड़ लिया गया जिसका प्रतिकूल प्रभाव हमें आज तक देखने को मिल रहा है। लघु एवं कुटीर उद्योगों के पतन का ही प्रभाव है कि देश में ग्रामीण विकास धीमा है और ग्रामीण श्रम-शक्ति का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। इससे शहरीकरण की समस्या दिन-प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। ऐसे में केवल एक रास्ता सूझता है, वह है लघु एवं कुटीर उद्योगों का तीव्र गति से विकास किया जाए ताकि ग्रामीण विकास को सुदृढ़ आधार मिल सके।

भारतीय अर्थ व्यवस्था में लघु और कुटीर उद्योगों का स्थान

हमारी अर्थ व्यवस्था में लघु और कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। महात्मा गांधी का यह कथन कि "भारत का कल्याण उसके कुटीर उद्योगों में निहित है" बिल्कुल सत्य है क्योंकि लघु एवं कुटीर उद्योग आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक पहलुओं से देश के आर्थिक विकास की आधार शिला हैं। भारत में जहां बेरोजगारी, निर्धनता, आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण और भुगतान संतुलन की असमानता जैसी आर्थिक समस्याओं का साम्राज्य है वहां लघु और कुटीर उद्योग इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। देश की अर्थ व्यवस्था में इनके स्थान की चर्चा निम्न तथ्यों के आधार पर की जा सकती है।

- औद्योगिक जनसंख्या का 90 प्रतिशत भाग लघु एवं कुटीर उद्योगों में नियोजित है।
- निर्यात सम्वर्द्धन में इन उद्योगों का विशेष योगदान रहा है। औद्योगिक उत्पादन में लघु औद्योगिक क्षेत्र का योगदान इसी आधार से देखा जा सकता है कि 1980-81 में इस क्षेत्र द्वारा कुल 28 हजार करोड़ रुपये का उत्पादन किया गया जो 1991-92 में बढ़कर 1.80 लाख करोड़ रुपये का हो गया।
- विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में लघु एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र के विकास पर बढ़ता सार्वजनिक व्यय का अंश भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इनके महत्व को दर्शाता है। प्रथम योजनाकाल में इस क्षेत्र के लिए कुल प्रावधान जहां 5.20 करोड़ रुपये का था, सातवीं योजना में 1120.51 करोड़ रुपये और आठवीं

योजना में इसके लिए 4778 करोड़ रुपये रखा गया है। भारत में पूंजी का अभाव होने के कारण लघु और कुटीर उद्योग ही देश की परिस्थितियों के अनुकूल हैं क्योंकि बहुत कम पूंजी लगाकर भी इनकी स्थापना संभव है।

राष्ट्रीय आय का संतुलित वितरण करने और आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण को रोकने में इन उद्योगों की प्रभावी भूमिका होती है।

आज जहां औद्योगिक प्रदूषण की समस्या तेजी से बढ़ रही है ऐसे में लघु और कुटीर उद्योग इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं।

लघु व कुटीर उद्योग : ग्रामीण विकास का आधार

आज जब देश में जोर - शोर से आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण एवं अर्थ व्यवस्था की सुदृढ़ता के लिए चर्चाएं की जा रही हैं, विदेशी व देशी निवेशकों को पूंजी निवेश के लिए तरह-तरह के प्रलोभन दिये जा रहे हैं, ऐसे में यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थ व्यवस्था में एक संतुलन कायम नहीं किया गया तो उक्त सुधार कार्यक्रमों का लाभ देश के सभी उद्योग धंधों को मिल सकेगा, कह नहीं सकते।

ग्रामीण अर्थ व्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है। अतः कृषि के साथ-साथ कृषि पदार्थों पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग स्थापित करके लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम क्रय शक्ति व प्रभावपूर्ण मांग में कमी तथा बाजारों का पिछड़ापन एक आम बात है। यदि लघु व कुटीर उद्योगों का विकास किया जाता है तो लोगों की आय में वृद्धि होने से क्रय शक्ति, प्रभावी मांग व बाजार विकास को बढ़ावा मिलेगा।

प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार के अभाव के कारण ग्रामीण उपभोक्ता शोषण की अधिक शिकायत करते हैं। यदि उनकी आवश्यकता की वस्तुएं स्थानीय आधार पर इन उद्योगों में ही निर्मित की जाने लगेंगी तो उक्त समस्या का निराकरण स्वतः हो जायेगा।

जहां 12 करोड़ लोग निर्धनता रेखा से नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन जीने को मजबूर हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व कुटीर उद्योगों का विस्तार करके लोगों को निर्धनता रेखा से ऊपर लाया जा सकता है। प्रायः देखा गया है फालतू समय में गांव के लोग दूषित राजनीति या जमीन जायदाद के झगड़ों में फंसे रहते हैं। ऐसे में छोटे-छोटे उद्योग में लोगों को लगाकर व्यस्त रखा जा सकता है और वे विभिन्न बुराइयों से स्वतः दूर हो जायेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व कुटीर उद्योग स्थापित करके कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इनके लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान है। इससे विदेशी मुद्रा-अर्जन में भी सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

शहरों में बड़ी-बड़ी मशीनों व उत्पादन की नई तकनीकों से प्राप्त उत्पाद को जब दूर-दराज के गांवों में वितरण हेतु भेजा जाता है तो ग्रामीण उपभोक्ताओं को उस वस्तु के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है जो उसके उपभोग व्यय को भी असंतुलित करती है। अतः लघु कुटीर उद्योगों में स्थानीय आधार पर ही उत्पादन किया जाकर इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है।

अंत में निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि वर्तमान संदर्भ में आर्थिक विकास के लक्ष्य को तीव्रता से प्राप्त करने के लिए कोई बना बनाया फार्मूला नहीं है अपितु शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलित विकास की महती आवश्यकता है। शहरों में जहां ऊंचे-ऊंचे कल-कारखाने, बड़ी-बड़ी मशीनों व भारी विनियोजन के साथ संचालित किये जा रहे हैं वहीं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था उपेक्षित सी पड़ी है, फलस्वरूप विगत वर्षों में किये गये विकास कार्यों का लाभ वांछित रूप में प्राप्त नहीं हो सका है। अतः आज यह बात जोर पकड़ती जा रही है कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के विकास को बढ़ावा दिया जाए। ग्रामीण विकास का मूल मंत्र लघु और कुटीर उद्योगों के विकास में छिपा है, अतः क्यों न इन उद्योगों को सुदृढ़ आधार प्रदान किया जाए। ये उद्योग कई प्रशासनिक, आर्थिक व संरचनात्मक समस्याओं से ग्रसित हैं। अतः लोगों और सरकारी इच्छा शक्ति से यथासंभव इन समस्याओं का निराकरण करना होगा। तभी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के विकास को ठोस आधार मिल सकेगा।

8 बी, 9 प्रताप नगर,
टोंक फाटक, जयपुर (राजस्थान) 302015

सहकारिता - ग्राम विकास का आधार

✍ प्रो. उमरावमल शाह

"भारत गांवों का देश है और भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है" — गांधी जी का यह कथन हमें प्रेरित करता है कि जब हम राष्ट्र की प्रगति की बात करते हैं तो हमें ग्राम विकास को प्राथमिकता देनी होगी क्योंकि ग्रामों की प्रगति पर ही राष्ट्र की प्रगति संभव है।

ग्राम विकास–एक परिवर्तन की प्रक्रिया

ग्राम विकास को यदि हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह गांवों में रहने वाले करोड़ों व्यक्तियों के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि करने का एक सचेत एवं नियोजित प्रयास है। इसमें गांवों का तथा ग्रामवासियों का आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक विकास निहित है। समन्वित ग्रामीण विकास का आशय ग्रामीणों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाना है। परिवर्तन से अधिकांश ग्रामवासियों का जीवन, कार्य तथा विकास के प्रति उनका दृष्टिकोण बदलने लगता है। स्वावलंबी बनकर गांव के उपलब्ध साधनों का ग्राम हित में उपयोग करने तथा समुदाय की भावना को विकसित कर के ही ग्राम-विकास को प्राप्त किया जा सकता है।

ग्राम विकास में सहकारिता का दर्शन शास्त्र

ग्रामवासियों को इस क्षमता का आभास कराना कि वे अपना विकास स्वयं कर सकते हैं, सहकारिता की महत्ता को उभारता है। सहकारिता निर्बलों को सबलता प्रदान करती है और सामूहिक शक्ति का सृजन करती है।

सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से सहकारिता एवं ग्राम विकास की संकल्पना का दृष्टिकोण एक ही है। सहकारिता व्यक्तियों का एक संगठन है जो अपने आर्थिक हितों में वृद्धि करने के उद्देश्य से समानता के आधार पर ऐच्छिक रूप से संगठित होते हैं। सहकारी आंदोलन मनुष्यों के आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान में सबसे अधिक सहायक होने वाला साधन है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों मे आर्थिक समानता की स्थापना एक प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। देश के भौतिक साधनों का उपयोग सभी के लाभ के लिये हो, इसलिये सहकारी आंदोलन का सूत्रपात किया गया। सहकारिता का आधार समानता, सामूहिक प्रयास, सामूहिक चेतना व एकता की भावना है। विकास के परिप्रेक्ष्य में सहकारिता का दर्शन "एक सब के लिये व सब एक के लिए" पर आधारित है। पारस्परिकता का यह विचार सहकारिता का दर्शन है और इसकी शक्ति भी।

योजनाओं में सहकारिता से विकास

स्वतंत्रता के बाद भारत के आर्थिक उत्थान, विशेषकर ग्रामीण विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये सहकारी आंदोलन को प्रमुख माध्यम माना जाने लगा। सहकारिता को विकासोन्मुख आर्थिक नीतियों में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने तो यहां तक प्रतिपादित किया कि योजना की सफलता का मूल्यांकन इस बात से होगा कि किस सीमा तक योजना के कार्यक्रम सहकारिता के माध्यम से क्रियान्वित किए जा रहे हैं। जैसे-जैसे विकास की योजनाओं में वृद्धि होती गई वैसे-वैसे पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता की व्यापकता बढ़ती गई और इसे एक पृथक क्षेत्र के रूप में माना जाने लगा और आशा की जाने लगी कि सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र होगा जो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच एक सशक्त संतुलित क्षेत्र के रूप में विकसित होगा।

ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत सहकारी समितियों की व्यापकता

भारत में सहकारिता द्वारा आर्थिक विकास के लिये विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियां कार्यरत हैं और ग्राम्य जीवन में सहकारिता का प्रवेश सभी क्षेत्रों में हो चुका है। ग्रामीण विकास में रोजगार के अवसर बढ़ाकर आय एवं उत्पादन वृद्धि में इनका अपना विशिष्ट योगदान है।

आज सहकारी आंदोलन में विभिन्न प्रकार की लगभग 3 अरब 53 हजार समितियां कार्यरत हैं जिनकी सदस्यता लगभग 16 करोड़ है तथा लगभग 70,000 करोड़ रुपये की राशि कार्यशील पूंजी के रूप में लगी हुई है। इन समितियों में से लगभग 88,341 प्राथमिक कृषि साख/बहुउद्देशीय समितियां, 8 करोड़ 12 लाख सदस्यों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं और इन्होंने 99 प्रतिशत गांवों तथा 65 प्रतिशत परिवारों तक अपनी पहुंच बनाई है। सबसे

महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सहकारिता ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उन क्षेत्रों में योगदान दिया है जहां सरकार एवं समाज को सर्वाधिक ध्यान, मार्गदर्शन एवं सहायता की आवश्यकता है।

ग्रामीण विकास में सहकारिता ने जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश किया है वे हैं कृषि सहकारी समितियां। इनमें प्राथमिक ग्रामीण कृषि साख समितियां, डेयरी समितियां, लघु सिंचाई समितियां, कृषि विपणन समितियां, चीनी मिलें, सूत गिरणियां, तेल एवं चावल मिलें, शीतगृह, श्रमिक समितियां, ग्रामोद्योगों से संबंधित तथा हथकरघा बुनकर समितियां आदि शामिल हैं। कमजोर वर्गों के लिए कुछ विशेष समितियां हैं जिनमें आदिवासी बहु-उद्देशीय सहकारी समितियां, वन श्रमिक सहकारी समितियां, वनोपज समितियां, मत्स्य सहकारी समितियां, कुक्कुट पालन समितियां प्रमुख हैं।

कृषि वित्त की उपलब्धि सहकारिता के माध्यम से

ग्रामीण विकास की महती आवश्यकता कृषकों को वित्त उपलब्ध कराने की है। इस दिशा में सहकारी संस्थाओं ने ग्रामीण स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसानों को आवश्यकतानुसार कृषि उत्पादन हेतु सहकारी संस्थागत ढांचे से अल्पावधि एवं मध्यावधि ऋण के रूप में वर्ष में लगभग 5,000 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है जो न केवल नकद अपितु खाद, बीज एवं कीटनाशक के रूप में प्रदान किया जाता है। ऋण की वसूली कृषकों से फसल बेचने के उपरांत की जाती है। यह अल्पावधि ऋण उत्पादन बढ़ाने तथा कृषि में नई प्रणाली अपनाने में बहुत सहायक हुआ है। इसी प्रकार मध्यकालीन ऋण जो सामान्यतः 3 से 5 वर्ष की अवधि का होता है, मुख्यतया सिंचाई सुविधाएं विकसित करने में सहायक हुआ है। इसके साथ-साथ सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिसका उपयोग भूमि सुधार हेतु, लघु सिंचाई साधनों के विकास हेतु, भूमिगत जल दोहन हेतु, कृषि यंत्रों को खरीदने हेतु, फलोद्यान विकसित करने हेतु किया जाता है। लगभग प्रतिवर्ष औसतन 700 करोड़ रुपये सहकारी भूमि एवं ग्रामीण विकास बैंक कृषकों में वितरित करते हैं।

कृषि उपज का विपणन–सहकारिता के माध्यम से

कृषि विकास ग्राम विकास का मुख्य आर्थिक आधार है। किसानों को तब तक लाभ नहीं मिलेगा जब तक कि उन्हें उत्पादित कृषि उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त न हो। इस हेतु मंडी स्तर पर कृषि क्रय-विक्रय सहकारी समितियां बनाई है। ये समितियां किसानों को समय-समय पर रासायनिक खाद, उन्नत बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराने के अलावा उन्हें कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने और उपभोक्ता सामग्री सुलभ कराने का प्रयत्न भी करती हैं।

खाद्य संसाधन इकाइयों का ग्रामीण विकास में योगदान

कृषि उत्पादन का पूरा आर्थिक लाभ किसानों को तब प्राप्त हो सकता है जब ग्रामीण क्षेत्रों में ही कृषि उपज का संसाधन हो। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेगें, अपितु कृषकों को उनकी उपज का सर्वाधिक मूल्य मिलेगा। कुछ सहकारी इकाइयों ने महाराष्ट्र और गुजरात के कृषकों में विकास का ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है जिसने कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में वांछनीय परिवर्तन कर विकास को एक सशक्त स्वरूप प्रदान किया है। कृषि उपज को संसाधन कर उसका लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सहकारी क्षेत्र में देश में 299 चीनी मिलें, 123 सूत मिलें, 56 तेल मिलें और 293 चावल मिलें चल रही हैं। इन इकाइयों ने विशेषतः सहकारी चीनी मिलों ने ग्रामीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सिद्ध किया है कि सहकारी संगठनों की ग्राम विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

ग्रामीण विकास का दृढ़ आधार–सहकारिता

अक्टूबर 1992 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के ग्राम-विकास सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री ने बताया कि हम पिछले 40 वर्षों से ग्राम-विकास की उपेक्षा करते आ रहे हैं, यद्यपि यह सभी सरकारों के लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। इसकी महत्ता को देखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभिक 14,000 करोड़ रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये में बदल दिया गया है। मूल प्रश्न है ग्राम विकास कैसा होगा और किस तरीके से होगा? इसे समझने और समझाने की आवश्यकता है। ग्राम विकास की संकल्पना ग्राम के अंतिम व्यक्ति के विकास से जुड़ी हुई है। ग्राम का सर्वांगीण विकास, न्यूनतम अभावों का अंत, आर्थिक विकास से उत्पादन और रोजगार वृद्धि, सामाजिक न्याय तथा विकास प्रक्रिया को जनाधार स्वरूप प्रदान करना ही इस ओर सही कदम माना जाएगा।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिये जन सहयोग एवं उनकी भागीदारी अत्यन्त आवश्यक है। जब तक देश की 74.29 प्रतिशत जनसंख्या को विकास की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तब तक समतामूलक विकास की अवधारणा मूर्त्त रूप नहीं ले सकती। इस दिशा में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, क्योंकि :-

(1) विकास में स्थानीय जन सहयोग एवं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने में सहकारी समितियां अधिक सक्षम हैं क्योंकि वे जन आधारित हैं।

(2) स्थानीय समस्याओं से जुड़ी हुई स्थानीय संस्था होने के कारण सहकारी समितियां, विकास की योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन में अधिक सार्थक भूमिका निभाने की संभावनाएं रखती हैं।

(3) सीमित साधनों के परिप्रेक्ष्य में विकास की प्राथमिकताओं को सहकारी समिति अधिक अच्छे ढंग से निर्धारित कर सकती है।

(4) ये साधनहीन व्यक्तियों, विशेषकर ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों, को सहकारी समितियों में प्रवेश देकर उन्हें विकास की धारा में जोड़ने में प्रभावी विकल्प के रूप में कार्य कर सकती हैं।

(5) ''प्रसार शिक्षा'' जो ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, वह सहकारी समिति द्वारा अधिक व्यापक, सतत, स्थायी तथा प्रभावी बनाई जा सकती है।

(6) ग्रामीणों को अपने विकास के लिये स्वावलंबी बनाने में सहकारी समिति के अधिक सफल होने की संभावनाएं हैं।

(7) ''क्षेत्र विकास'' के विचार को सहकारी इकाइयों ने सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है।

अंत में यह कहना सार्थक होगा कि ठीक से संगठित एवं क्रियाशील ग्रामीण सहकारी समिति ग्रामीण विकास की सफलता में रीढ़ की हड्डी के समान सशक्त इकाई बन कर ग्रामीणों के जीवन में आर्थिक एवं सामाजिक बदलाव ला सकती है क्योंकि यह ग्रामीणों द्वारा गठित, ग्रामीणों द्वारा संचालित और ग्राम स्तर पर कार्यरत ग्रामीणों के लिये संस्थागत विकास का प्रयास है।

शाह निवास, लखारा चौक,
उदयपुर - 313001

पृष्ठ 10 का शेष

लिए वर्ष दर वर्ष अच्छी खासी रकम नियत की जाती है। किंतु उसका सदुपयोग होता तो स्थिति बहुत अधिक बदल चुकी होती। एक विचार गोष्ठी में यह बताया गया कि इन वर्गों के लिए जो धन रखा जाता है उसे इन जातियों के कल्याण के नाम पर सड़क निर्माण, वृक्षारोपण और अन्य सामान्य योजनाओं में खपा कर कह दिया जाता है कि ये सड़कें, वन और अन्य योजनाएं उनकी बस्तियों में हैं इसलिए अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित धनराशि में से धन खर्च कर दिया जाता है। यह एक धोखाधड़ी है।

वित्त मंत्री ने इनके लिए निर्धारित धनराशि 53 करोड़ से बढ़ाकर 76 करोड़ रुपये तो कर दी है जो स्वागत योग्य है परंतु उपरोक्त कुवृत्ति पर तुरंत काबू पाया जाए। वित्त मंत्री का कथन है — ''विशिष्ट योजनाओं के लिए राज्यों की सहायता सहित वर्ष 1994-95 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 982 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम को केन्द्रीय सरकार द्वारा शेयर पूंजी अंशदान 1993-94 के बजट अनुमान में 53 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1994-95 में 76 करोड़ रुपये किया जा रहा है।''

इस प्रकार, हमारे ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इस साल के बजट प्रस्तावों का लेखा जोखा कुल मिलाकर संतुलित है। किंतु जैसा कि ऊपर कहा गया है किसी भी योजना अथवा कार्यक्रम की सफलता, असफलता उसके समुचित कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। सरकार को धन निर्धारण के साथ-साथ उसके सदुपयोग पर नजर रखनी चाहिए तभी मनोवांछित फल निकल सकते हैं।

ए-36 बी, डी. डी. ए. फ्लैट्स,
मुनीरका, नई दिल्ली - 110067

ग्रामीण विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन

कमल किशोर जैन

केन्द्रीय सरकार के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के जो अनेक कार्य पूरे देश में गत कई वर्षों से हाथ में लिए गए हैं, उनमें राजस्थान में किए गए कार्य अपने आप में विशिष्ट हैं और उनके सुनियोजित परिणाम ग्रामवासियों की खुशहाली के रूप में सामने आये हैं। जो विशिष्ट योजनाएं ग्रामों और ग्रामीणों के विकास के लिए निहित हैं, उनके द्वारा गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और आवास-निर्माण जैसे प्रयास हैं। राजस्थान में इन योजनाओं के क्रियान्वयन से गरीब और पिछड़े ग्रामीणों के जीवन में काया पलट हुई है।

राजस्थान में ग्रामोत्थान के लिए विशिष्ट योजनाओं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से संचालित प्रमुखतः ग्यारह योजनाओं में जन-जन के कल्याणार्थ रोजगार सृजित कराने और पिछड़ गए कदमों को त्वरित गति देने का निश्चय किया गया है। जब गांवों के विकास से समृद्धि फैलेगी तो राजस्थान के ग्रामीणों में चेतना, विकास के नये मूल्यों एवं नवजीवन की अभिव्यंजना भी बढ़ेगी। केन्द्र सरकार ने विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत राज्य के सभी कार्यक्रमों में 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। राज्य में इस वित्तीय वर्ष 1993-94 में ग्रामीण विकास की विशिष्ट योजनाओं पर 312.38 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसमें 205.41 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने और 106.97 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार ने दी।

सन् 1992-93 के अन्तर्गत राजस्थान में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा एक लाख के लक्ष्य की तुलना में 1,01,366 गरीब परिवारों को लाभान्वित किया गया है। लाभान्वितों में अनुसूचित जाति के 34,744 एवं अनुसूचित जनजाति के 20,099 परिवार और अल्प संख्यक समुदाय के 3,963 परिवार सम्मिलित हैं। इसमें 28,438 महिलाएं भी लाभान्वित की गई हैं। कार्यक्रम पर 32,58,25,000 रुपये व्यय किये गये हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से सम्बद्ध ट्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 92-93 में राज्य के 12,549 युवकों को विभिन्न व्यवसायों में स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

जवाहर रोजगार योजना में राज्य में 122.46 करोड़ रुपये के व्यय से 339.09 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया है। वर्ष 1993-94 में भी 158.25 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया जिसमें केन्द्र द्वारा 80 प्रतिशत और राज्य द्वारा 20 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई गई। जवाहर रोजगार योजना से सम्बद्ध इंदिरा आवास योजना एवं जीवन धारा योजना में पिछड़े वर्गों को महत्व दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के लाभ एवं मुक्त बंधक श्रमिकों के पुनर्वास की इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 10.94 करोड़ रुपये के व्यय से 11,541 मकान बनाए जा चुके हैं और 7,787 मकान निर्माणाधीन हैं। इसी कार्यक्रम की जीवन धारा योजना में 9,973 कुएं निर्मित करवाये गये हैं और 10,948 कुंओं का निर्माण कार्य चल रहा है। योजना पर 17.87 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।

विशिष्ट योजनाओं में बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में तीन हजार के लक्ष्य की तुलना में 3,139 बायोगैस संयंत्र स्थापित किये गये हैं और 91 संयंत्र निर्माणाधीन हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत मुहैया करवाने की दृष्टि से यह कार्यक्रम ग्रामोपयोगी है। 1993-94 में इस कार्यक्रम पर 2.02 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान है। मरु विकास कार्यक्रम में वन विकास, जल संसाधन, चारा उत्पादन एवं भू-संरक्षण कार्यों पर 36 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्यावरण सुधार और क्षेत्र के अधिक विकास तथा उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग से रोजगार सुविधाएं उपलब्ध कराने का यह कार्यक्रम राज्य के 11 जिलों में शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आधार पर वर्ष 77-78 से चलाया जा रहा है। इसी योजना के अन्तर्गत सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चल रहे हैं। राज्य में इस कार्यक्रम पर 6.46 करोड़ रुपये व्यय किये गए हैं। यह कार्यक्रम राज्य के नौ जिलों अजमेर, बासंवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, झालावाड़ और बारां के 30 विकास खण्डों में

क्रियान्वित किया जा रहा है।

इसमें भू-संरक्षण वन, चरागाह विकास, पौधरोपण एवं सिंचाई क्षमता बढ़ाने जैसे कार्य हैं। लघु एवं सीमांत कृषकों के कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के व्यापक कार्यक्रम के तहत 5.74 करोड़ रुपये के व्यय से 11,347 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 1993-94 में 4 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया जिससे 7,775 लघु एवं सीमान्त कृषकों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया।

राजस्थान के अलवर एवं भरतपुर जिलों में मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के तहत सड़क निर्माण कार्यों पर 1,12,36,000 रुपये व्यय किये गये हैं जिससे 39 किलोमीटर सड़क बन चुकी है और 36 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। "अपना गांव अपना काम" योजना एक और कार्यक्रम है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जन सुविधाओं के निर्माण, रोजगार के अतिरिक्त अवसर जुटाने तथा स्वावलम्बन के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके तहत 1534 कार्य प्रगति पर हैं। बंधक श्रमिकों के पुनर्वास के तहत 15 लाख रुपये के व्यय से 231 मुक्त बंधक श्रमिक पुनर्वासित किये गये हैं जबकि लक्ष्य 128 का था। गत दो वर्षों में 20 लाख 51 हजार के व्यय से 291 बंधक श्रमिकों को पुनर्वास की सुविधा मुहैया कराई गई है।

राजस्थान में 1993-94 में "तीस जिले तीस काम" और निर्बन्ध योजना के तहत कुल 35 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया। इसमें से पेयजल आपूर्ति में सुधार पर 17 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। यह राशि इस वर्ष ग्रीष्मकाल में 30 जून तक नलकूप एवं हैण्डपम्प लगाने के कार्य तथा जल स्रोतों के सुधार पर व्यय की जायेगी। "तीस जिले तीस काम" योजना के तहत 10 करोड़ तथा "निर्बन्ध योजना" के अन्तर्गत 7 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। यह राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को आवंटित की जा चुकी है। लघु एवं सीमान्त कृषकों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्यों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 96 योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं पर अब तक 5.48 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। राज्य के झालावाड़, जोधपुर और उदयपुर जिलों में बंजर भूमि के प्रसार एवं कटाव को रोकने और ईंधन तथा घास की उपलब्धि के लिए 1992-93 में एक करोड़ रुपये व्यय किये गये। इसमें लगभग 2000 हेक्टेयर बंजर भूमि का विकास किया गया।

भारत देश मूल रूप में कृषि प्रधान है। यहां तीव्र और निरन्तर ग्रामीण विकास की आवश्यकता है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र एवं राज्य की आठवीं योजना में ग्रामीण विकास को सर्वोपरि महत्व दिया गया है। इन योजनाओं पर सही ढंग से अमल करने पर राष्ट्रीय विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। परन्तु ईमानदारी से क्रियान्वयन करना होगा। ऐसा न करने पर ग्रामीण विकास की दर्जनों योजनाएं भी निरर्थक हैं।

सी-6, मोतीमार्ग,
बापूनगर, जयपुर-302015

पृष्ठ 8 का शेष

एक करोड़ ग्रामीण महिलाएं इस समृद्धि योजना से लाभ उठा रही हैं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक छः करोड़ ग्रामीण महिलाओं को इस योजना से संबद्ध किया जायेगा।

योजना का मूल्यांकन

महिला समृद्धि योजना के कार्यान्वयन का दायित्व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा गया है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस विभाग के कुशल निर्देशन में यह योजना अपने इष्टतम लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह से सफल होगी। दो अक्तूबर 1993 से ही देश के विभिन्न डाकघरों में महिला समृद्धि योजना खाते खोले गये हैं। इस योजना के निश्चित परिणाम, अनुभव व प्रतिफल सामने आने बाकी हैं, अतः ग्रामीण महिला समाज की आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता व उत्थान की दिशा में यह योजना कितनी कारगर व प्रभावी सिद्ध होगी, के संदर्भ में स्पष्ट कोई राय नहीं दी जा सकती। हां, यहां यह कहना अत्यन्त ही बेमानी होगा कि 300 रुपये लगातार एक वर्ष खाते में जमा रहने पर 75 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो जाने से किसी महिला के आर्थिक व सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन या सुधार हो जाएगा पर यहां इतना अवश्य स्पष्ट है कि निरंतर शोषित, पीड़ित व उपेक्षित ग्रामीण महिलाओं में आत्म-विश्वास और आत्म-निर्भरता की भावना पैदा करने में महिला समृद्धि योजना एक सकारात्मक कदम है।

ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत

✍ धनंजय चोपड़ा
निदेशक, समाज सेवा सदन

जिस प्रकार मानव शरीर का विकास बिना ऊर्जा के असम्भव है उसी प्रकार बिना ऊर्जा के किसी भी देश तथा समाज के अपेक्षित विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है और यदि देश भारत जैसी अपार जनसंख्या वाला हो तो विकास प्रक्रिया ठप्प भी पड़ सकती है।

हमारे देश में ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों के रूप में कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु शक्ति का प्रयोग हो रहा है परन्तु विशेषज्ञों की इस चेतावनी के बाद कि सन् 2010 तक इन स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन की गति धीमी पड़ जायेगी और धीरे-धीरे ये स्रोत ही समाप्त हो जायेंगे, भारत सरकार ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर उचित ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया है ताकि ऊर्जा उत्पादन में स्थायित्व प्राप्त किया जा सके।

आजकल ऊर्जा के जिन वैकल्पिक स्रोतों को अपनाया जा रहा है उनमें अधिकतर प्राकृतिक स्रोत हैं जिनका भारत जैसे देश में अपार भण्डार है। ये स्रोत हैं सूर्य, पवन, जल इत्यादि। इन स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग अभी बहुत कम मात्रा में हो रहा है परन्तु अच्छे परिणामों को देखते हुए भारत सरकार के वैकल्पिक ऊर्जा से सम्बन्धित मंत्रालय ने प्रचार-प्रसार के कार्य को तेज कर दिया है। यहां इन ऊर्जा स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है:

सौर ऊर्जा

भारत समशीतोष्ण जलवायु के क्षेत्र में स्थित है जिससे इसे प्रचुर मात्रा में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा मिलती है। यही कारण है कि भारत के लिये सौर ऊर्जा प्राकृतिक ऊर्जा के सभी स्रोतों में प्रमुख स्रोत है। यदि इसका व्यापक उपयोग किया जाये तो हमारे देश से ऊर्जा संकट कुछ हद तक टल जायेगा। वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी पर प्रत्येक घंटे का सूर्यताप 21 अरब टन कोयले की ज्वलन शक्ति के बराबर होता है। लेकिन फिर भी हम अपने देश में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में व्यापक रूप से बदलने में असमर्थ हैं जबकि सरकारी अनुमानों के अनुसार हमारे देश में 80,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होने की क्षमता है जिससे 25 करोड़ टन कोयला बचाया जा सकता है।

ऐसा नहीं कि हमारे देश में सौर ऊर्जा से सम्बन्धित अनुसंधान नहीं हो रहे हैं। सच तो यह है कि हमारे वैज्ञानिकों ने पानी गर्म करने के यंत्र तथा सौर कुकर जैसे कुछ घरेलू उपकरणों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिये एक ऐसा पम्प भी विकसित किया है जिससे सौर ऊर्जा का उपयोग करके सिंचाई भी की जा सकती है। भारत के कई गांवों में परीक्षण के तौर पर सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचायी गयी है, टी. वी. सेट चलाए जा रहे हैं जो एक उपलब्धि ही है परन्तु सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग में अभी भी हम बहुत पीछे हैं।

पवन ऊर्जा

पवन ऊर्जा के प्रयोग के क्षेत्र में भारत अन्य देशों की तुलना में अग्रसर भूमिका निभा रहा है। यूं तो भारत में प्राचीन काल से ही पालयुक्त नौकाओं और पवन चक्कियों में पवन ऊर्जा का उपयोग हो रहा है परन्तु प्रथम संगठित अनुसंधान 1952 से प्रारम्भ हुआ और निरन्तर इस दिशा में प्रगति हो रही है। अब गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि राज्यों में कई परियोजनाओं को कार्यरूप दिया जा रहा है जिनमें गुजरात के ओखा, तमिलनाडु के तूतीकोरिन, उड़ीसा के पुरी इत्यादि स्थानों पर बनाये गये पवन ऊर्जा फार्म प्रमुख हैं।

एक अनुमान के अनुसार पवन ऊर्जा से 20,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और इसी को ध्यान में रखकर अब पवन ऊर्जा से कई बिजली उत्पादन की परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पवन ऊर्जा से संचालित पवन चक्की का उपयोग एक अनमोल प्रयास माना जा रहा है क्योंकि जहां इन पवन चक्की सेटों का रख-रखाव सरल व सस्ता है वहीं कम व्यय पर अधिक लाभ का सिद्धान्त भी लागू होता है। पवन चक्की स्वतः ही दिन रात चल सकती है और इससे एकत्र ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः सिंचाई तथा बिजली प्राप्त करने में किया जाता है। भारत जैसे विशाल देश में जहां गांव-गांव बिजली पहुंचाना एक समस्या है, पवन चक्की का प्रसार वरदान सिद्ध हो सकता है।

जल शक्ति

जल को हम "जीवन" मानते है क्योंकि हमारे शरीर का 90 प्रतिशत भार जल से ही प्राप्त है। पृथ्वी पर भी जल का अपार भण्डार है और हमारे देश का यह सौभाग्य है कि छोटी-बड़ी असंख्य नदियां यहां प्रवाहित होती हैं जिनमें सदैव उपलब्ध जल का ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

भारत जैसे विकासशील देश के लिए बिजली की समस्या से निपटने के लिये जल बहुत योगदान दे सकता है क्योंकि जल-शक्ति पर आधारित किसी एक पन बिजली परियोजना में लगभग 10,000 मेगावाट की बिजली समाहित होती है। यही कारण है कि भारत सहित अनेक देश इस शक्ति का उपयोग कर रहे हैं।

भारत में पन बिजली का उत्पादन सबसे पहले कर्नाटक राज्य में शिव समुद्र में अंग्रेजी शासन में प्रारम्भ हुआ था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने पन बिजली परियोजनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर उचित ध्यान दिया जिसके परिणामस्वरूप आज कुल बिजली उत्पादन का 40 प्रतिशत पन बिजली से प्राप्त होता है। परन्तु भारत जैसे नदियों के बाहुल्य वाले देश के लिये यह मात्रा बहुत कम है। यदि हम अपनी इस प्राकृतिक सम्पदा का उचित उपयोग करें तो एक लाख मेगावाट से अधिक बिजली उत्पन्न कर सकते हैं।

इन प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों के अतिरिक्त ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायो ऊर्जा आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें भी अनुसंधानों के द्वारा नये आयाम दिये जा रहे हैं।

बढ़ती जनसंख्या, विकास की दर तथा स्वालम्बन प्राप्ति की आंकाक्षा को देखते हुए हमें अपनी प्रकृति की सुरम्यता को बनाये रखते हुए ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों का उचित उपयोग करने की दिशा में और अधिक प्रयास करने होंगे ताकि आने वाले समय में ऊर्जा संकट से हम मुक्त रहें।

90 6ए/527 एच-3,
दरियाबाद, इलाहाबाद

गुणों का भंडार है—पपीता

डा ऋषि मोहन श्रीवास्तव

पपीता अत्यन्त ही गुणकारी फल है। यह कच्चे तथा पक्के दोनों रूपों में फायदेमंद है। इसमें विटामिन और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। पपीता ब्राजील में सबसे अधिक होता है। अब तो यह फल सभी प्रमुख देशों में उत्पन्न होने लगा है। कुछ लोग इसे खाना पसंद नहीं करते, जबकि यह पेट संबंधी सभी विकारों को नष्ट करके, शरीर को स्वस्थ बनाता है। कच्चे-पपीते की सब्जी भी तैयार की जाती है लेकिन कच्चे पपीते की अपेक्षा पके हुए पपीते में विटामिनों की मात्रा अधिक होती है। पपीते के कुछ प्रमुख गुण हैं:

— पपीता खाने से पाचन-शक्ति बढ़ती है। इसमें खनिज तत्व—कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन आदि पाये जाते हैं। प्रोटीन तथा विटामिन भी खूब होते हैं।
— पीलिया रोग व तिल्ली बढ़ने की शिकायत होने पर पपीते का सेवन करें, लाभ होगा।
— कच्चे पपीते की सब्जी खाने से बच्चों वाली माताओं के दूध की वृद्धि होती है।
— कच्चा पपीता खाने से दस्त की शिकायत मिटती है। इसका सेवन पानी में उबालकर किया जा सकता है।
— कच्चे पपीते का दूध दाद पर लगाने से फायदा होता है। इसके अतिरिक्त अन्य चर्म-रोग भी मिटते हैं।
— जूते के काट लेने पर पैर में छाला पड़ गया हो तो कच्चे-पपीते का दूध लगायें, निश्चित फायदा पहुंचता है।
— पीलिया होने पर बतासे में कच्चे पपीते का दूध (10-15 बूंदें) डालकर खाना चाहिए।
— टांसिल्स के उपचार के लिए, कच्चे पपीते का दूध पानी में डालकर कुल्ला करना चाहिए।
— बवासीर की तकलीफ होने पर कच्चे पपीते का दूध मस्सों पर लगायें, पका हुआ पपीता भी खाते रहें, फायदा होगा।
— गुर्दे की पथरी ठीक करने में भी पपीता गुणकारी है।
— जिन व्यक्तियों को कब्ज, अपच की शिकायत होती है, उन्हें पपीता खाना चाहिए।
— पेट में कीड़े हो गए हों तो कच्चा पपीता खाना चाहिए, इसकी सब्जी तथा रायता बनाया जा सकता है।
— फोड़े-फुन्सी के घावों पर कच्चे पपीते का दूध फायदेमंद है।
— बिच्छू के काटने पर (संबंधित स्थान पर) कच्चे पपीते का दूध लगायें, लाभ होगा।
— पपीते की चटनी और अचार भी बड़ा स्वादिष्ट और गुणकारी होता है। इसके अन्दर पेप्सिन नामक तत्व पाया जाता है, जो अत्यन्त गुणकारी है।

16, वर्मा लेन,
दतिया, (म० प्र०)

कहानी

टीस

✍ डा. किरण बाला

जब भी छुट्टियों में गांव जाती, उस लड़की को गुमसुम अपने काम में लगी हुई पाती। शायद उसका नाम निर्मला था, जिसे गांव के लोग निरमलिया कहकर पुकारते थे। उस लड़की के संदर्भ में जिज्ञासा मेरे मन में तब उत्पन्न हुई जब मेरी सात साल की बच्ची ने अपनी पढ़ाई के संदर्भ में कुछ पूछा था। मैं काम की व्यस्तता के कारण उसे टाल गयी।

मैं बता दूँ भाभी जी. . . . मैंने मुड़कर देखा, अरे निर्मला तुम, तो तुम जानती हो पढ़ना-लिखना। (मुझे आश्चर्य हुआ था, मैं तो उसे अनपढ़ समझती थी) वैसे पब्लिक स्कूल का कोर्स है, काफी कठिन है।'' ''मैं भी तो पढ़ी हूँ पब्लिक स्कूल में, सातवीं कक्षा तक'' निर्मला ने कहा और उसकी आँखें शून्य में कुछ खोजती सी डूब गईं।

फिर तुम यहां कैसे आई, तुम्हारे माँ बाबूजी? मेरे यह पूछने पर वह कुछ नहीं बोली और अपने काम में व्यस्त हो गयी। उस लड़की के प्रति मेरे मन में ममता, सहानुभूति और भी न जाने कितने प्रकार के भाव उमड़ आये। गांव में अधिक उम्र की कुंवारी लड़कियाँ प्रायः दिखायी नहीं देतीं, फिर निर्मला कुंवारी क्यों रह गयी? इन सब बातों की जानकारी के लिए मैं अपनी मुहबोली ननद के पास गई, उन्होंने जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरा तो कलेजा मुँह को आ गया।

निर्मला के बाबूजी पटना के किसी स्कूल में पढ़ाते थे। छुट्टियों में गांव आये थे और साथ में था उनका भरा-पूरा खुशहाल परिवार, उसकी छोटी बहन सुनीता और उसकी माँ। निर्मला तब काफी स्वस्थ्य और खूबसूरत थी। गांव में उसके आते ही सभी लोग भीड़ लगा देते।

एक रात जब गाँव अंधकार में डूबा हुआ था, अचानक एक चीख की आवाज आई और सारा गाँव जाग गया। पता चला निर्मला के पड़ोस में किसी की हत्या हो गयी है। हत्यारा कौन था पता नहीं किन्तु दूसरे दिन निर्मला के दरवाजे पर पुलिस-दारोगा की भीड़ थी, लोग एक-दूसरे से काना-फूसी कर रहे थे। उसके बाबूजी को पुलिस पकड़कर ले गई। हत्या का आरोप उन्हीं के सर पर मढ़ा गया। हत्यारे वे थे या नहीं पता नहीं। वैसे जिसकी हत्या हुई थी उसके और निर्मला के परिवार में काफी दिनों से दुश्मनी चल रही थी।

मामला थाना से कोर्ट-कचहरी पहुँचा। कोर्ट के फैसले के अनुसार निर्मला के बाबूजी को 14 वर्ष की सजा हुई और वे जेल चले गए।

तब निर्मला मात्र 10 वर्ष की मासूम बच्ची थी। बाबूजी को जेल जाते और माँ के गहने एक-एक कर बिकते उसने देखा था और तभी शायद उसने परिस्थिति से समझौता भी कर लिया था।

अचानक घर के लोगों का व्यवहार उन लोगों के प्रति बदल गया था। अब उसकी माँ को ही घर गृहस्थी का सारा काम सम्हालना पड़ता। निर्मला और उसका परिवार, जो छुट्टियों में गाँव घूमने आते थे, उन्हें अब गाँव में रहना पड़ा। सर्दियों में रात-रात तक माँ को बर्तन मांजते देख निर्मला को अपनी पटना की जिन्दगी याद हो आई। माँ कितनी अच्छी, कितनी उदार और ममता से भरी हुई थी। अब तो बात-बात पर चिड़चिड़ा जाती है। खाँसी उन्हें परेशान किये रहती, कभी-कभी बुखार भी आ जाता। एक रात खाँसते-खाँसते माँ ने अचानक बिस्तर पकड़ लिया था। वैद्य जी आये, उन्होंने बताया माँ को टी. बी. हो गयी है, शहर ले जाकर दिखाने की सलाह दी, किन्तु चाचा ने आवश्यक नहीं समझा। वैद्य जी की पुड़िया आती रही, कुछ दिनों के बाद वह भी बंद हो गयी।

अब चाची के तानों से तंग आकर निर्मला ने ही घर के कामों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। सुनीता तो काफी छोटी थी, किन्तु इस उम्र में ही परिस्थितियों ने उसे काफी समझदार बना दिया था। पहले जो हर चीज के लिए जिद किया करती थी, अब चाची की बेटी की उतरन भी स्वेच्छा से पहन लेती थी।

बाबूजी की अनुपस्थिति में चाचा-चाची ही उन लोगों की देखभाल किया करते। उनके अपने भी चार बच्चे थे और आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी चार के अतिरिक्त भी किसी का खर्च उठा

सकें। किन्तु उनके सामने दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं था। परिवार तो आखिर अपना था, जिस भइया पर वे वक्त बे वक्त के लिए आश्रित रहा करते थे। आज उनके परिवार को आश्रय देना उनकी मजबूरी थी।

निर्मला की माँ जब बीमार हुई तब मौसी आयी थी और घर की परिस्थितियों और सुनीता की पढ़ाई की जिद्द को देखते हुए सुनीता को अपने साथ लेती गई। माँ ने भी उसे नहीं रोका।

माँ की सेवा और घर के कामों में व्यस्त निर्मला के पास अक्सर ही समाचार आते कि उसके बाबूजी जेल में अच्छे हैं। उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। दूध, फल सब मिलता है। कभी-कभी जेल से अपने बच्चों के लिए कुछ भेजते भी थे। किन्तु निर्मला को वह सब कहाँ नसीब होता। इसके बावजूद वह खुश होती और गाँव में सभी को सुनाया करती कि बस कुछ ही दिनों की बात है बाबूजी आने ही वाले हैं। चौदह वर्षों की सजा तो अब मात्र चार वर्ष की रह गयी है। बाबूजी आयेंगे। पुनः निर्मला पढ़ाई शुरू करेगी, सुनीता स्कूल जायेगी, माँ का इलाज होगा और फिर न जाने कौन-कौन से सपने तैरने लगते उसकी आखों में। वह अपनी फटी ओढ़नी के पल्लू को देखती और मुस्कुरा देती, वह भी तो सयानी हो गयी थी।

उस रात सब काम समेट कर निर्मला जब माँ के पास बैठी तो माँ ने पता नहीं क्या सोच कर सुनीता को याद किया और फूट -फूट कर रोने लगी। फिर खाँसी का दौर आरंभ हुआ। गरम पानी और गरम तेल की मालिश से जब फायदा नहीं हुआ तो उसने चाचा को जगाया था। उधर से आवाज आयी "बुढ़िया सोने नहीं देती, पता नहीं कब मरेगी" वैसे रोज ही यह सुनने को मिलता, अतः निर्मला को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बावजूद उसने चाचा को जगाया था, किसी डाक्टर को बुलाने को। गाव में इतनी रात को डाक्टर कहां मिलते। घर के लोगों के जागते-जागते मा इस दुनिया से चली गयी। पहले तो निर्मला सन्न सी रह गयी थी। जब गांव की औरतें आईं तो वह फूट-फूट कर रोई थी। सब लोगों ने उसे हिम्मत से काम लेने को कहा था, उसने सोचा अच्छा ही हुआ माँ मर गयी, कम से कम रोज-रोज के दर्द से उसे तो मुक्ति मिल गयी।

माँ के मरने पर बाबूजी आए थे, मौसी के साथ सुनीता भी आयी थी। सुनीता जो पहले फूल सी खिली रहती थी, अब सूखकर कांटा हो गयी थी। दोनों बहनें बाबूजी से लिपटकर खूब रोयी थीं। केवल दो ही दिनों के लिए पैरोल पर आये थे बाबूजी, उन्होंने समझाया था—"बस अब एक ही वर्ष की बात है। मैं जेल से आऊँगा और फिर हम लोग पटना चलेंगे।" सुनीता पुनः पढ़ने जायेगी और भी न जाने कितने सपनों के बीच छोड़ गये थे बाबूजी।

लम्बी प्रतीक्षा के बाद वह दिन भी आ गया, जब निर्मला के बाबूजी अपनी सजा पूरी करके घर लौटने वाले थे। चाचा ने बताया था—आज शाम की गाड़ी से भइया लौटने वाले हैं। कितनी खुश हुई थी दोनों बहनें। दौड़-दौड़कर सारे गांव को बता रहीं थी। सुबह से सारा परिवार प्रतीक्षा की घड़ियां गिन रहा था। निर्मला कभी घर की सफाई में व्यस्त हो जाती, कभी खाना बनाने में। गाड़ी का समय हो गया, सभी लोग स्टेशन गए, निर्मला भी गई, सुनीता तो पहले से ही वहाँ मौजूद थी। काफी प्रतीक्षा के बाद गाड़ी आयी। बाबूजी गाड़ी से उतरे दोनों बहनों ने चाहा था दौड़कर उनसे लिपट जाए। बाबूजी के साथ एक नई-नवेली दुल्हन को देखकर सभी ठगे से रह गये। बाबूजी ने कहा—निर्मला यह तुम्हारी नई माँ है। वह युवती जो निर्मला की ही हम उम्र की थी, उपेक्षा से दोनों बहनों की ओर देखा था। उसके दिल में एक टीस सी उठी। उसका चेहरा पहले से भी अधिक बोझिल हो गया था। उसने सूरज की ओर देखा जो अब डूबने की प्रतीक्षा कर रहा था और फिर देखा अपने बाबूजी की ओर, उसके कदम अनायास ही पीछे की ओर मुड़ गये थे। बाद में पता चला बाबूजी जब जेल में थे, तभी शायद उसके दूर के रिश्ते के मामा ने यह रिश्ता कराया और पैरोल पर छूटकर उन्होंने शादी कर ली।

निर्मला के बाबूजी तो अपनी नई-नवेली दुल्हन के साथ पटना चले गए। कहा तो था उन्होंने उसे भी साथ चलने को। सुनीता चली गई। निर्मला अकेली रह गई। अब भी गांव में सब के सुख-दुःख में हाथ बंटाती है। चाची के ताने सहती है। हर साल उसकी शादी की चर्चा भी चलती है। किन्तु कौन करेगा अब उससे शादी, अब तो वह बुढ़िया लगने लगी है, असमय ही बाल भी पकने लगे हैं।

सूचना एवं प्रालेख अधिकारी,
बिहार स्वयंसेवी स्वास्थ्य संघ,
117, वेद श्री, दुजरा, पटना

ग्रामीण विकास में

महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े

✍ शैलेन्द्र मोहित

वर्तमान समय में सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल से ही सरकार ने गांवों के उत्थान हेतु योजनाओं का निर्माण किया। इस सम्बन्ध में महिलाओं की भागीदारी भी नितांत आवश्यक है, इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन महिलाओं की स्थिति को सुधारना भी ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक पहलू होना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष अपने रोजगार जैसे-- खेती, लघु उद्यम या मजदूरी करने घर से सवेरे ही निकल जाते हैं और महिलाएं घर पर रह कर गृहस्थी के कार्य करती हैं । भोजन, वस्त्र, घर की देखरेख आदि कार्य ही उसकी दिनचर्या होती है। यदि सरकार कुछ ऐसी योजनाएं बनाये जिसका समूचा प्रबन्ध ही महिलाएं करें, तो ऐसी स्थिति में महिलाएं विकास कार्यों हेतु आगे आ सकती हैं।

सरकार द्वारा ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के कल्याणार्थ एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया "ग्रामीण महिला और बाल विकास कार्यक्रम" (डवाकरा) कार्यक्रम। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं हेतु किया गया। यह अपने तरीके की सर्वप्रथम योजना है जिसमें महिलाओं की शत-प्रतिशत भागीदारी हो सकती है।

इस योजना में प्रत्येक गांव की महिलाओं को एकत्रित करके समूहों का निर्माण किया जाता है। ऐसे समूह में 15-20 महिलाएं हो सकती हैं। इस प्रकार के समूह का ज्यादा शिक्षित होना आवश्यक नहीं है।

ग्राम सेविका सरकारी प्रतिनिधि के रूप में इस कार्यक्रम के विकास में योगदान देती है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं चूंकि अशिक्षित या कम पढ़ी लिखी होती हैं अतः उनसे सरल भाषा में बात की जाती है। उनकी समस्याओं को सुनकर उसको दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। ये समस्याएं घरेलू हों या अन्य हों, समस्त बातों का एक चौपाल पर बैठकर निराकरण किया जाता है।

इस योजना का दूसरा प्रमुख पहलू महिलाओं द्वारा उद्यमी कार्य और रोजगार की प्राप्ति है। ग्रामीण महिलाओं को अपने और अपने परिवार हेतु कुछ आय का अर्जन करना सिखाया जाता है। इस कार्य का प्रमुख उद्देश्य यह है कि ऐसी महिलाएं जिन्हें रुचि हो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। कार्यक्रम के कार्यों के साथ ही इन्हें अपने बच्चों के पालन-पोषण का भी समय मिलना चाहिए। महिलाओं को कुकिंग गैस, स्टोव, धुआंरहित चूल्हे और विद्युत उपकरण इत्यादि के प्रचालन का प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है।

लघु उद्यमों में बीड़ी का निर्माण, डलिया, सूप इत्यादि लकड़ी का सामान, ग्रामों में प्रचलित परंपरागत खिलौनों या सजावटी समान, कृषि कार्यों के सामानों का प्रशिक्षण, टाटपट्टियां, कपड़ा, छपाई इत्यादि का प्रशिक्षण अत्यन्त उपयोगी होगा। इन कार्यों से महिलाओं को विभिन्न कार्यों को जानने का अवसर तो प्राप्त होता ही है, साथ ही उनके द्वारा बनायी जाने वाली वस्तुओं से उन्हें कुछ आय भी प्राप्त होती है जो उनके परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करती है।

यह अर्जित आय महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर देती है तथा विधवा महिलाओं और पति द्वारा सतायी गई महिलाओं को भी किसी के आश्रित नहीं रहना पड़ता। इस योजना में लघु उद्यमों के विकास पर भी बल दिया जा सकता है। इसके अंतर्गत लघु उद्योगों की स्थापना के लिए महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण की सुविधा दी जाती है। वर्तमान में "ट्राइसेम" योजना के तहत महिलाओं को प्रत्येक जिला स्तर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि–

(1) महिला कृषकों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिये।

(2) महिला उद्यमियों और महिला श्रमिकों को रोजगार प्रोत्साहन के लिए महिला स्वामित्व वाली इकाइयां स्थापित की जाएं।

(3) महिलाओं को हैंडपम्प व नलकूप की देखभाल का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।

(4) खाद्य सामग्री के प्रोसेसिंग की उपयुक्त तकनीक को

प्रोत्साहन देने के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जल एवं सब्जी संरक्षण केन्द्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाना चाहिए।

(5) सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व के लिये प्रतिनिधित्व और प्रशिक्षण की व्यवस्था के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी सरकार प्रयत्नशील है। इसके तहत महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार दिये जाने चाहिए।

इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अत्यन्त लाभकारी व कल्याणकारी है। यदि इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन उचित तरीके से किया जाता रहे तो यह गांवों में अशिक्षित और कम पढ़ी-लिखी महिलाओं के उत्थान हेतु उपयोगी सिद्ध होगा। यह कार्यक्रम महिलाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें आय प्राप्ति में सहायक तो होगा ही, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा।

भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय,
"सेन्टर प्वाइंट काम्पलैक्स",
महारानी लक्ष्मीबाई मार्ग,
फूल बाग, ग्वालियर,
पिन - 474002

लघुकथा

उधारखोर

✍ आलोक 'चन्द्र'

"श्यामू भइया! जरा रुको तो!"

"क्या बात है भाई!"

"क्या बताऊँ! कल से परेशान हूं।. . शहर जाना था। बैंक में मेरा पैसा जमा है, मगर क्या बताऊं किराए के लिए पास में पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास पचास रुपये हों तो. . . . . ।"

"हाँ-हाँ! क्यों नहीं। घर चलो मैं पैसे दे देता हूँ। मगर भाई . . . बात ये है कि कल मुझे लौटा जरूर देना मुझे अपने बच्चे की फीस जमा करनी है।"

"हां-हां भइया क्यों नहीं. . .।"

रुपये लेकर रमुआ खुशी-खुशी चला अपने घर की ओर। उन रुपयों का उसने क्या किया राम जाने, मगर तीसरे दिन वह कैलाश के सामने खड़ा था।

"क्या बताऊं भैया! पड़ोसी की मदद करना भी आजकल गुनाह हो गया है। अब देखो न! मैने किशन को एक हफ्ते पहले इस शर्त पर सौ रुपये उधार दिए कि एक दो-दिन में लौटा देना, मगर अब तक रुपयों का कोई पता नहीं।"

"हां भइया. . . .! सभी मतलबी हो गये है।"

"मगर तुम तो बड़े सज्जन आदमी हो भैया! जरा मुझे पचास रुपये दे देते तो मेरा काम चल जाता।"

"मैं. . . मैं तो! . . . मेरे पास. . . .।" कैलाश हकलाने लगा।

रमुआ ने पचास का नोट उससे भी झटका।

एक वर्ष बाद. . . ., बरसात के प्रकोप के बीच, रात के एक बजे रमुआ ने कैलाश के घर का दरवाजा खटखटाया।

"कैलाश भइया! दरवाजा खोलो।"

"क्या है रमुआ?"

"भइया! मेरे पुत्र का बदन आग की तरह तप रहा है, और इलाज के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम्हारे पास।"

"पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, भइया!"

कैलाश ने फटाक से दरवाजा बन्द किया।

"किशन भइया. . .।"

"श्यामू भइया. . . ।"

रमुआ उस उफनती बरसाती रात में दौड़ता-दौड़ता बेदम हो गया मगर कहीं से उसे कोई मदद नहीं मिली।

दूसरे दिन सुबह अपने फूल से बच्चे के शव पर रमुआ सिर पटक-पटक कर विलाप कर रहा था, अपने को कोस रहा था।

691-बी, कृष्णा नगर रेलवे कालोनी,
पोस्ट– बशारतपुर,
गोरखपुर–273001 (उ. प्र.)

बीमारी कहीं और इलाज कहीं

✍ एस. पी. मित्तल,
वरिष्ठ वैज्ञानिक,
केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण
अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान

जल संचयन प्रबंध (वाटर शेड मैनेजमेंट) की विस्तृत चर्चा अब से लगभग दो दशक पहले शुरू हुई थी। तत्पश्चात कई विभागों द्वारा बहुत सी परियोजनाएं शुरू की गईं। हमारे केन्द्र ने भी एक परियोजना गांव सुखोमाजरी जिला अम्बाला में सन् 1975 में शुरू की थी। इस परियोजना के अंतर्गत जंगलों के विनाश को रोकना, नष्ट हुये जंगलों का पुनर्निवेशन तथा मिट्टी के कटाव रोकना मुख्य उद्देश्य थे। इसके लिये तकनीक भूमि संरक्षण की सभी किताबों में उपलब्ध है। हमने भी इन तकनीकों के आधार पर बहुत से मिट्टी व पत्थर के बांध बनाये, पहाड़ों के ढाल पर छोटी-छोटी नालियां बनाईं ताकि वर्षा के जल का संरक्षण हो सके। तत्पश्चात नर्सरी में तैयार किये हुए हजारों की संख्या में पेड़-पौधे पहाड़ों पर लगाये।

पेड़-पौधे लगाने के कुछ समय पश्चात जब हम लोग निरीक्षण के लिए गये तो हम यह देखकर स्तब्ध रह गये कि वहां एक भी पौधा नहीं बचा। अधिकतर पौधे बकरियों ने चर लिये थे और बाकी गांव वाले उखाड़ कर जलाने के लिये ले गये। अगले वर्ष फिर हमने हजारों की संख्या में पौधारोपण किया। मगर उनका परिणाम भी वही हुआ जो कि पहले वर्ष लगाये गये पौधों का हुआ था।

गांव वालों की इस कार्यवाही से हम लोग बहुत ही परेशान थे। हमारा पैसा, समय और मेहनत सब कुछ ही व्यर्थ गया। इस प्रश्न को लेकर हम वैज्ञानिक अक्सर विचार विमर्श किया करते थे। एक दिन जब हम इस समस्या पर विचार कर रहे थे तो गांव के कुछ वृद्ध हमारे पास आकर बैठ गये। हमने अपनी समस्या उनके समक्ष रखी और कहा कि आप लोगों की वजह से यह सब नुकसान हो रहा है। यह सुनकर एक वृद्ध, जिसका नाम जेठू राम है, हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोला कि यदि आप लोग बुरा न मानें तो मैं आपसे एक दो बात कहने का साहस करूं। हमने कहा कि कहो। तब उसने कहा "जो काम आप लोग जंगलों और पहाड़ों को बचाने के लिये कर रहे हो यह कोई नई बात नहीं है। मैं करीब चालीस पचास वर्ष से देखता आ रहा हूं कि वन विभाग इस तरह के काम हर चार-पांच वर्ष के बाद करता रहता है। मगर जंगल फिर वैसे के वैसे हैं।" जेठूराम ने हमसे प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने कहा कि यह सब आप गांव वालों की वजह से हो रहा है। यह सुनकर वह रोष में आ गया और कहा कि क्या आप लोग (यानि कि विभाग) इसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं। उसने पूछा जो आप लोग कर रहे हैं क्या वह सही है। फिर उसने बड़ी ही सरल भाषा में कहा कि यह बताओ "यदि चोट मेरे पैर में लगी हो और आप दवाई मेरे सिर में लगाओगे तो क्या उसका कोई लाभ होगा।" उसकी यह बात हमारी कुछ समझ में नहीं आई। हमने कहा, "बाबा जरा विस्तार से इस बात को समझाओ।" तब जेठूराम ने कहा "समस्या कहीं है और आप उसका समाधान कहीं और ढूंढ रहे हैं। समस्या तो मेरे गांव में है। आपने आज तक गांव की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। आप लोग सारा पैसा और जोर जंगल में लगा रहे हैं। इसका कोई लाभ नहीं होगा, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं। जब तक आप गांव की तरफ ध्यान नहीं देंगे और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे आप अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। आप लोग पेड़ लगाते रहोगे और हम लोग बरबाद करते रहेंगे। यह क्रम चलता रहा है और चलता रहेगा।"

जेठूराम की बातों ने हमारी आंखें खोल दीं। हम लोगों ने महसूस किया कि वास्तव में हम लोग गलत रास्ते पर थे। हमने जेठूराम से पूछा कि आप विस्तार से अपनी समस्याएं हमें बतायें। जेठूराम ने बताया गांव वालों के पास एक या दो एकड़ जमीन है परंतु सिंचाई का कोई प्रबंध नहीं है। चूंकि सारी खेती वर्षा पर निर्भर है इसलिये समुचित मात्रा में अन्न पैदा नहीं होता और वर्षा का तो आप को पता ही है कि कभी हो गई, कभी नहीं। हमें दो वक्त का खाना नहीं मिलता। ऐसे में हम गुजारा कैसे करें। इसके लिए हम जंगल पर निर्भर करते हैं। हम लोग जंगल से लकड़ी

काट कर बेच लेते हैं और अपने जानवर जंगल में चराने के लिए छोड़ देते हैं। इसी से हमारा गुजारा चल रहा है।

जेठूराम की बातों में कितनी सच्चाई थी इसका अनुभव हमें पिछले दो साल में हो चुका था। हमारी परियोजना की सफलता के लिये यह आवश्यक था कि हम अपने निर्धारित कार्यक्रम को बदलें और गांव की समस्याओं का निवारण करें। किसानों की मुख्य समस्या थी खेती के लिए पानी उपलब्ध कराना। इसके लिए हमने गांव के निकट पहाड़ी के नीचे एक 12 मीटर ऊंचा मिट्टी का बांध बनाया और करीब 9 हेक्टेयर पहाड़ी क्षेत्र का वर्षा जल इसमें इक्ट्ठा किया। बांध से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए भूमिगत पाइप लाइन डाली जिसके द्वारा लगभग 22 हेक्टेयर जमीन के लिये सिंचाई का प्रबंध किया। चूंकि पानी नियमित मात्रा में उपलब्ध था, इसलिये गेहूं की फसल के लिए केवल दो पानी ही पर्याप्त थे। एक पानी बिजाई से पहले और दूसरा पानी करीब 25-30 दिन बाद। दो पानी देने से गेहूं की औसतन पैदावार 8 क्विंटल से बढ़कर 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई। इसके साथ-साथ काफी मात्रा में चारा भी उपलब्ध होने लगा, जिससे दूध की पैदावार लगभग तिगुनी हो गई। अब गांव वालों को न केवल अपने उपयोग के लिए काफी मात्रा में अनाज मिलने लगा बल्कि अब कुछ अनाज बाजार में बेचने के लिये भी उपलब्ध होने लगा। हम लोगों के बार-बार समझाने पर तथा भविष्य में होने वाले लाभ को देखकर गांव वालों ने जंगलों को काटना और जानवर चराना बंद कर दिया। उन लोगों ने बकरी और गाय बेच दी तथा भैंसे खरीद लीं। धीरे-धीरे जंगल फिर से हरे-भरे हो गये। मिट्टी का कटाव भी काफी कम हो गया है। पानी का बंटवारा और जंगल की चौकीदारी अब गांव वाले खुद ही करते हैं।

जिस समस्या का समाधान केवल वैज्ञानिक विधि से नहीं हो सका, वही काम गांव वालों को साथ लेकर कुछ ही समय में संभव हो गया। जंगलों को बचाने की इस नई प्रणाली को हमने "सोशल फेंसिंग" (अर्थात समाज द्वारा वनों की रक्षा) का नाम दिया। फलस्वरूप अब जंगल से लकड़ी काटना और जानवरों को चराना बिल्कुल बंद हो गया है।

इस अनुभव से कुछ मुख्य बातें जो उभर कर हमारे सामने आई हैं वे इस प्रकार हैं:—

1. गांव में या गांव के निकट कोई भी परियोजना शुरू करने से पहले यह आवश्यक है कि वहां के रहने वालों से इसकी विस्तार से चर्चा करें और उनके विचार जान लें अर्थात परियोजना में गांव वालों की भागीदारी प्रारंभ से ही सुनिश्चित कर लें।

2. गांव वालों की क्या समस्याएं हैं और उनकी जरूरत क्या हैं, इसका पूरा विवरण प्राप्त कर लेना चाहिये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना में जरूरी फेर बदल करें जिससे कि परियोजना का पूरा लाभ गांव वालों को पहुंचे।

3. परियोजना ऐसी होनी चाहिए जिसके तहत लाभ कम से कम समय में उपलब्ध हों और सामने दिखाई देते हों। तभी गांव वाले आपकी बात सुनेंगे अन्यथा नहीं।

4. यदि परियोजना से गांव वालों को कोई लाभ नहीं मिलता तो संभव है कि वह परियोजना सफल न हो।

5. परियोजना के लाभ सभी ग्रामवासियों को बराबर मिलने चाहिये।

यदि उपरलिखित बातों को ध्यान में रखें तो ग्राम विकास की परियोजनाएं अवश्य ही सफल एवं कारगर होंगी।

27 ए, मध्यमार्ग,
चंडीगढ़—160019

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता:

व्यापार व्यवस्थापक
प्रकाशन विभाग
पटियाला हाऊस
नई दिल्ली-110001

आइये, अबूझमाड़ को बूझें

✍ कोशल किशोर चतुर्वेदी
रिसर्च स्कालर (वनस्पति विज्ञान)

यह कोई पहेली नहीं जिसे यहां हम मनोरंजन के लिए बुझा रहे हों बल्कि अपनी प्राकृतिक रमणीयता को संजोए हुए, घने जंगलों से आच्छादित, चारों ओर से दुर्गम पहाड़ियों से घिरे मध्य-प्रदेश राज्य के बस्तर जिले का यह वह आदिम-जातीय क्षेत्र है जिसमें पायी जाने वाली आदिम-जातियां अपनी प्राचीन संस्कृति तथा परम्पराओं के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। आजादी के छियालिस वर्षों बाद आज भी विकास तथा आधुनिकता से अछूती इस क्षेत्र की ये आदिम-जातियां हैं– मारिया तथा मुरिया।

आदिम-जातीय अबूझमाड़ क्षेत्र मध्य प्रदेश के बस्तर जिले का एक भाग है जो लम्बाई में 95 कि. मी. उत्तर से दक्षिण की ओर तथा चौड़ाई में 60 कि. मी. पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है। इसकी सीमा रेखा उत्तर में अन्तागढ़ से, दक्षिण में इन्द्रावती नदी से, पश्चिम में परालकोट और कुट्रू के बीच से तथा पूर्व में नारायणपुर छोटा-डोंगर से मिलती है। समुद्र तल से यह 300-762 मीटर ऊंचाई पर है। जलवायु मानसून प्रकार की जिसमें जाड़ा, गर्मी, बरसात समय-समय पर आते रहते हैं। तापक्रम साल भर 22° सेन्टीग्रेड से 25° सेन्टीग्रेड के बीच रहता है। प्राकृतिक सम्पदा से भरपूर इस क्षेत्र में लाल, पीली, काली सभी प्रकार की मिट्टियां पायी जाती हैं जिसमें ढेरों सारे खनिज मिलते हैं।

साल में अच्छी वर्षा होने के कारण यहां पाये जाने वाले जंगल काफी घने हैं, जिसमें फल-फूल, जड़ी-बूटियों से लेकर, कीमती लकड़ियों के वृक्ष मिलते हैं जो हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था से सीधे जुड़े हुए हैं। इनसे ही इस क्षेत्र की जन-जातियां अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती हैं। महत्वपूर्ण कीमती लकड़ियों में सागौन, साखू, साल साजा, घौड़ा अर्जुन, इमली, जामुन, नीम आदि के वृक्ष खूब मिलते हैं। विभिन्न प्रकार की जड़ी-बूटियों में काली-मूसली, सफेद-मूसली, सतावर, ब्राम्ही, पुनर्नवा, घुमची, भटकटैया, कटीली, राम दातून, कामराज, सुगन्धी तथा आंवला, हर्रा और बहेड़ा के फल आदि प्रमुख हैं जिनसे ही विभिन्न प्रकार के रोगों का निदान इस क्षेत्र के आदिवासी करते हैं। इसके अलावा कीमती उत्पाद देने वाले पौधे जैसे चिरौंजी, महुआ, नीम, कत्था, गोंद, रंग, फूल-झाड़ू, कुसुम आदि भी यहां के जंगलों में पाये जाते हैं, जिनसे कि हमारे देश में ढेरों सारे कुटीर उद्योग चलाये जाते हैं। नशीले पादप पेयों को प्राप्त करने के लिए खजूर, सल्फी तथा महुआ आदि के वृक्ष भी खूब मिलते हैं।

जंगली जानवर इस क्षेत्र में अब ज्यादा नहीं रह गये हैं। जो थोड़े-बहुत हैं भी वे आदिवासियों के डर से छुपे रहते हैं क्योंकि इनको देखते ही ये लोग खाने के लिए मार डालते हैं। यदि मारिया जन-जाति के लोगों को जंगल या घरों में चूहा दिखाई दे जाए तो फिर क्या पूछना? उसे ये लोग किसी भी तरह उसे पाकर ही रहते हैं। इसके लिए उन्हें चाहे दिन-रात एक ही क्यों न करनी पड़े। सबके सब इकट्ठे होकर चूहे की बिल खोद डालते हैं और अन्दर छिपे चूहे को अन्त में खोज ही निकालते हैं। चूहा खाने का शौक इन लोगों का खूब है। इसके अलावा परम्परागत शिकार तो ये लोग करते ही हैं।

इस क्षेत्र में पायी जाने वाली आदिम-जातियों में मारिया तथा मुरिया हैं। इनके छोट-छोटे गांव पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये आदिम-जातियां अपनी प्राचीन संस्कृति तथा परम्पराओं को संजोए हुए अपनी अलग पहचान रखती हैं। न तो इन्हें अपने विकास की चिन्ता है और न ही आधुनिकता का गम। देश कहां जा रहा है इससे इन्हें कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं तथा रीति-रिवाजों के अनुसार ही अपनी जिन्दगी जीना चाहते हैं। अपने जीवन में किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप इन्हें जरा भी पसन्द नहीं। कपड़े के नाम पर कमर के ऊपर एक पतली सी लंगोटी लगाये स्त्री-पुरुष रहते हैं, चाहे कंपा देने वाली ठण्ड ही क्यों न पड़ रही हो। इनकी स्त्रियां ढेरों सारी मालाएं तथा आभूषण पहने, शरीर पर गुदना गुदाए अपने को जंगली पौधों के फूलों से खूब सजाए-संवारे रहती हैं। झाड़-फूस का इनका छोटा सा घर, घर के आस पास सल्फी के पेड़, घर के बाहर एक किनारे सुअर रखने के लिए छोटी-सी जगह, घर के अन्दर पड़ी चटाई तथा बिस्तर, तीन-चार खाना पकाने के बर्तन, थोड़ी-बहुत खाने की सामग्री, तुम्बी में भरा हुआ सल्फी पेय यही है इनके घर तथा घर के आस-पास का दृश्य। खेती के नाम पर स्थानान्तरित खेती की रीति के अनुसार घने जंगलों को साफ करके थोड़ा-बहुत चावल, कोदो, उड़द, सांबा आदि पैदा कर लेते हैं। इसके अलावा जंगली फलों, जड़ी-बूटियों, महुआ कन्द-प्रकन्द तथा सल्फी पेय आदि पर

ही आश्रित रहते हैं। नशीले पदार्थों में ताड़ी, सल्फी, तम्बाकू, महुए की शराब आदि का प्रयोग करते हैं। कुछ जड़ी-बूटियां भी हैं जिन्हें नशे के लिए लेते हैं। सल्फी पेय इनकी सभ्यता तथा संस्कृति का परिचायक है, यह पेय सल्फी वृक्ष जिसे वनस्पति विज्ञान की भाषा में **कैरियोटा यूरेन्स** कहते हैं, से प्राप्त होता है। यह खजूर जाति का वृक्ष है। इसके तने से निकलने वाला पेय सल्फी है। यह नशीला होता है। लेकिन इसे और नशीला बनाने के लिए इसमें ये लोग कई प्रकार की जड़ी-बूटियां मिलाते हैं। विभिन्न प्रकार के सामाजिक, धार्मिक उत्सवों, शादी-ब्याह के मौकों, जन्म, मरण आदि के समय सल्फी का खूब प्रयोग करते हैं। यहां तक कि शादी में लड़के वाले को लड़की वाले की तरफ से एक तुम्बी सल्फी भरकर दहेज के रूप में भेंट की जाती है। नव-विवाहित जोड़े अपने जीवन की शुरूआत एक-दूसरे को सल्फी पिलाकर ही करते हैं। लोगों की आवभगत में सबसे पहले सल्फी ही भेंट की जाती है। गाय पालते हैं किन्तु उसका दूध नहीं पीते। इनकी मान्यता है कि गाय का दूध सिर्फ बछड़े के लिए होता है, हम सब के लिए नहीं। जंगली जानवरों का शिकार भी ये लोग खूब करते हैं। आज स्थिति यह है कि स्वच्छन्द विचरण करते हुए जंगली जानवर इस क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ते। जो थोड़े-बहुत हैं भी वे शिकारी लोगों के भय से छिपे रहते हैं।

मारिया जन जातीय संस्कृति में पायी जाने वाली घोटुल प्रथा आज भी देखने को मिलती है। घोटुल गांव के बाहर घास-फूस से बना हाल की तरह एक बड़ा-सा कमरा होता है, जिसमें गांव के सभी अविवाहित वयस्क लड़के-लड़कियां एक साथ रहते हैं। दिन में ये लड़के-लड़कियां अपने-अपने घरों का काम देखते हैं, रात में घोटुल में आ जाते हैं। यहीं पर गाना-बजाना कर रात में सो जाते हैं। ऐसे समय में जबकि रात-भर ये सभी एक साथ रहते हैं किसी भी प्रकार का यौन सम्बंध इनके बीच नहीं होता। इन लोगों के साथ ही गांव का पटेल जो गांव का मुखिया होता है अनुशासन बनाये रखने के लिए रहता है। इसके ही दिशा-निर्देशन में घोटुल में रहने वाले लड़के-लड़कियां सभी कार्यों को करते हैं। घोटुल में रहते हुए विवाह से पूर्व ये लड़के-लड़कियां अपनी मर्जी के मुताबिक अपने-अपने जोड़ों का चुनाव करते हैं जिनसे ही बाद में विवाह हो जाता है। विवाह के लिए माता-पिता को लड़का नहीं ढूंढ़ना पड़ता बल्कि लड़का अपने लिए लड़की स्वयं घोटुल से ढूंढ़ लेता है। इस तरह अपनी पसन्द के लड़के-लड़कियों के बीच विवाह इन जन-जातियों के समाज में पाया जाता है। सामान्यतया बाल-विवाह कम देखने को मिलता है।

इन आदिम-जातियों में मनोरंजन की अपनी अलग व्यवस्था भी होती है। इनके बीच का नृत्य जिसे 'माड़िया नाचा' के नाम से जाना जाता है अपनी अलग पहचान रखता है। गांव की औरतें और मर्द अपनी परम्परागत वेशभूषा में सजकर अलग-अलग पंक्तियों में एक-दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते-गाते तथा मौज मनाते हैं। इस नृत्य के समय कुछ लोग ढोलक, नगाड़े आदि बजाते हैं। ईश्वर में इनका अटूट विश्वास है। देवी-देवताओं की पूजा अपने परम्परागत तरीकों से करते हैं। इसके अलावा भूत-प्रेतों में इनका विश्वास बहुत ही कम है। स्थानान्तरित खेती जिसे 'पेण्डा' कहा जाता है, द्वारा अपने खाने-पीने की फसल उगा लेते हैं। एक जगह दो-तीन साल तक ही 'पेण्डा' विधि द्वारा खेती करते हैं, इसके बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जंगलों का सफाया कर खेती करना शुरू करते हैं। दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर खेती करने की इनकी अपनी परम्परा है। इस विधि द्वारा जहां ये अपनी फसलें उगाते हैं वहीं ढेरों सारी वनस्पतियों, जड़ी-बूटियों, कीमती लकड़ियों वाले वृक्षों आदि को काटकर बड़े-बड़े जंगलों का सफाया कर डालते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक सम्पदाओं को नष्ट करने में इनका बहुत हाथ है। जहां चाहते हैं वहीं जंगलों में आग लगा देते हैं, जीव-जन्तुओं को मार डालते हैं। इससे दुबारा न तो ऐसे स्थान पर वे वनस्पतियां ही पुनः उगती है और न ही जीव जन्तु रहते हैं। तीर-कमान लेकर चलाना इनकी अपनी विशेषता है। इससे ये शिकार करते हैं, जंगली-जानवरों से अपनी रक्षा करते हैं साथ ही आवश्यकता पड़ने पर आदमियों को इसी से मार डालते हैं। अधिक घने जंगलों में तो दो चार लोग अभी भी बिना कपड़े पहने हुए दिखाई पड़ जाते हैं। ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं।

इनके समाज में अपराध बहुत कम होते हैं। ये आपसी मतभेद को पंचायतों के द्वारा सुलझा लेते हैं। गांव का पटेल, जो गांव का मुखिया होता है, के हाथों में सारा प्रशासन होता है। अर्थव्यवस्था के नाम पर जंगली उत्पादों खास-तौर से महुआ, बीड़ी का पत्ता, नीम का फल आदि इकट्ठा कर बाजार में बेचते हैं। जो आमदनी इससे होती है उससे खाने तथा नशा करने का सामान खरीदते हैं। इनके गांव से काफी दूर बाजार लगता है जिसमें स्थानीय कस्बों के व्यापारी आते हैं। इनका पूरा का पूरा परिवार बूढ़े, बच्चे, जवान सभी स्त्री-पुरुष बाजार जाते हैं। ये बाहरी व्यक्तियों की आवभगत भी खूब करते हैं। खाने के लिए वही सल्फी और मांड, नशे के लिए ताड़ी, शराब और तम्बाकू, बैठने

के लिए मूंज से बनी चटाई आदि इनके परम्परागत तौर-तरीके हैं, जिनसे कि ये अतिथियों का सत्कार करते हैं।

अन्य समाजों की भांति मरने के बाद लाश को जलाने की प्रथा इनके समाज में है। जहां ये लाश जलाते हैं वहां एक पत्थर अवश्य गाड़ देते हैं, यह उसी तरह से है जैसे हमारे समाज में लोग स्मारक बनवा देते हैं।

ये द्रविड़ परिवार के माने जाते हैं। इनकी अपनी अलग भाषा 'मारी' है तथा संस्कृति अत्यन्त प्राचीन। अपने जीवन में किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप इन्हें पसंद नहीं। यही कारण है कि सरकार की योजनाएं यहां क्रियान्वित नहीं की जा सकी हैं। ये लोग जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। किसी भी प्रकार का परिवर्तन इन्हें पसन्द नहीं। जो थोड़ा-बहुत मिल जाता है उसी से अपना जीवन-यापन करके मस्त रहते हैं।

सभ्य समाज में आदिम जातियों को असभ्य, निर्दयी तथा अविकसित संस्कृति का कहा जाता है। किन्तु अबूझमाड़ क्षेत्र की मारिया समाज की संस्कृति के अध्ययन से पता चला है कि इनकी संस्कृति सभ्य समाज से भी ज्यादा विकसित है। जहां इनके रहन-सहन, खाने-पीने के तौर-तरीके अपने परम्परागत समाज के अनुरूप हैं वहीं इनके विचार काफी उच्च हैं। दूसरे के अधिकारों की रक्षा करना ये अपना परम कर्तव्य समझते हैं। इनके समाज में पाया जाने वाला अनुशासन, जीवन-साथी के चुनाव में लड़के-लड़कियों को प्राप्त स्वच्छन्दता, इनमें एक-दूसरे के प्रति गलत धारणा का अभाव, अपराध में कमी, मिलकर सूझ-बूझ से आपसी मतभेदों को हल कर लेने की इनकी अपनी क्षमता आदि इनके प्रगतिशील विचारों के द्योतक हैं। सरकार एक ओर इनकी सभ्यता तथा संस्कृति को संरक्षित रखना चाहती है और दूसरी तरफ इनके विकास की ढेरों सारी योजनाएं बनाती रहती है। ऐसे में क्या दोनों चीजें साथ-साथ सम्भव हैं?

टी. 3/3, टी.बी. कालोनी,
तेलियरंगज,
इलाहाबाद – 211004 (उ. प्र.)

पत्ते

✍ सत्यदेव चूरा

पेड़ की डाल से छिटके
सूखे पत्ते
बिखर गए आसपास
नहीं मिली
पेड़ की छाया भी
सूखे हुए पत्तों को
नहीं मिला वात्सल्य।
मौसम के साथ
पेड़ ने फिर
पा लिया नया आकार
लौट आई हरियाली
झूलने लगीं डालें
फिर आ गए
पेड़ की डाल पर नए पत्ते
कितनी ही बार
सूखा है पेड़
फिर हुआ है हरा,
पेड़ की डाल से छिटके
किसी पत्ते को
कभी नहीं मिलता दुलार
पत्ते नहीं बदलते
कोई मौसम
नहीं करते विरोध
पत्तों में होता है जलांश
ठूंठ नहीं होते पत्ते।

कोट का वास,
सोजत शहर–306104
राजस्थान

उत्तर प्रदेश

ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने में "ट्राइसेम योजना" की भूमिका

✍ डा० गणेश कुमार पाठक

देश की बढ़ती हुई ग्रामीण बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता से वर्ष 1979-80 से राज्य के समस्त विकास खंडों में स्वतः रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण की योजना अर्थात् "ट्राइसेम योजना" प्रारंभ की गयी। योजना के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में रहने वाले गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के ऐसे युवकों को जिनकी आयु सामान्यतः 18 से 35 वर्ष के मध्य हो, को अल्पकालीन प्रशिक्षण देकर स्थानीय साधनों पर आधारित उचित उद्योग-धंधों एवं व्यवसायों तथा सेवाओं में रोजगार देने के कार्यक्रम हैं।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है जो ग्रामीण अर्थ व्यवस्था से जुड़े हुए हों। कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 1989-90 से परंपरागत दक्षताओं की मांग एवं जनपद में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए व्यवसायों का चयन करने का प्रावधान किया गया है। विशेषतः ग्रामों से लगे शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण अंचलों में बढ़ रहे व्यवसायों जैसे ट्रांजिस्टर, टी० वी०, इंडिया मार्क-2 हैंड पम्प की मरम्मत, बायोगैस मिस्त्री, राज मिस्त्री, सेनेटरी एवं पाइप फिटिंग, हाउस वायरिंग और दाई प्रशिक्षण परम्परागत व्यवसायों से हटकर दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

क्षेत्रीय जिला ग्राम्य विकास संस्थानों, जिला उद्योग केन्द्र, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, हैंडलूम क्रारपोरेशन, गांधी आश्रम एवं आई० टी० आई० आदि प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं में कार्यशाला, शिक्षण कक्ष, छात्रावास, मशीनों, यंत्रों/उपकरणों को खरीदने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सहायता दी जाती है।

प्रशिक्षार्थी को उसके गांव में ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो 150 रुपये प्रतिमाह तक एवं प्रशिक्षण उसके गांव में न देकर अन्य किसी स्थान पर दिया जाता है और मुफ्त आवास की व्यवस्था है तो 250 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि एक माह से कम है तो दैनिक वृत्ति 10 रुपया प्रतिदिन एवं अधिकतम 125 रुपये दिया जाता है। यदि प्रशिक्षण इसी गांव के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर दिया जाता है और निःशुल्क आवास की व्यवस्था नहीं है तो 300 रुपये प्रतिमाह तक देने का प्रावधान है। यदि प्रशिक्षण एक माह से कम है तो 12 रुपये प्रतिदिन एवं अधिकतम 150 रुपये दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण अवधि में 600 रुपये मूल्य तक की टूलकिट भी प्रशिक्षार्थियों को दिए जाने का प्रावधान है। प्रशिक्षण संस्थाओं को 100 रुपया प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति माह एवं मास्टर कारीगर को 75 रुपया प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से मानदेय भुगतान किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 60 रुपया प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से प्रशिक्षण संस्था/मास्टर कारीगर को कच्चे माल के लिए दिए जा सकते हैं जोकि प्रति पाठ्यक्रम अधिकतम 500 रुपये तक देय है।

ट्राइसेम योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 40 युवक प्रति विकास खंड प्रशिक्षित एवं रोजगार में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित था जिसे अब बढ़ाकर 80 युवक प्रति विकास खंड निर्धारित किया गया है। योजना के प्रारंभिक वर्ष से वित्तीय वर्ष 1984-85 तक कुल 1,94,060 व्यक्तियों के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 1,65,065 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें से 73,231 व्यक्तियों ने स्वतः रोजगार स्थापित कर लिया है।

सातवीं योजना में 1,78,680 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष योजना काल में 1,19,019 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया एवं कुल प्रशिक्षित युवाओं में से 1,11,689 युवाओं को रोजगार में स्थापित किया गया है।

वर्ष 1992-93 में 59,250 युवाओं को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित था जिसके सापेक्ष 57,511 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। यह उपलब्धि लक्ष्य की 97 प्रतिशत है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने तथा स्वतः रोजगार को बढ़ावा देने में "ट्राइसेम योजना" विशेष भूमिका निभा रही है।

प्राध्यापक, भूगोल
महाविद्यालय, दूबे, छपरा

बाल-विवाह : युग का अभिशाप

✍ चन्द्रकान्ता शर्मा

वैशाख सुदी अक्षय तृतीया के अबूझ साये के दिन हजारों की संख्या में एक साल से लेकर चौदह-पन्द्रह साल तक के हजारों बालक-बालिकाएं विवाह के बंधन में बांध दिये जाते हैं। बिना इस बात की चिन्ता के कि वे विवाह का अर्थ भी जानते हैं या नहीं अथवा विवाह से पूर्व की शिक्षा-दीक्षा तथा जीविकोपार्जन के योग्य वे हुए या नहीं, अबोध बाल-बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है। हालांकि मुकलावे की रस्म बाद में की जाती है, लेकिन बड़ा होने पर बच्चों को पता ही नहीं चल पाता कि उनका विवाह कब, किससे तथा कहां हुआ? उन्हें अकस्मात् कहा जाता है कि उनका विवाह हो गया है तथा वे अपनी ब्याहता पत्नी को ले आएं। बढ़ती साक्षरता तथा शिक्षा-प्रसार से बाल-विवाहों में अब नयी जटिलताएं उत्पन्न हो गई हैं। वे युवा होने तक किसी से प्रेम कर बैठते हैं और शादी का वादा कर देते हैं, उन्हें तब यकायक यह पता चलता है कि उनकी शादी हो चुकी है, तो यह स्थिति बड़ी त्रासदायी होती है। यही स्थिति स्त्रियों की भी होती है।

बाल विवाहों से जहां सामाजिक व्यवस्था में अड़चनें आयी हैं, वहीं वे व्यक्ति विकास की सबसे बड़ी रुकावट हैं। कम आयु में विवाह जहां बालक की शिक्षा-दीक्षा में बड़ी दीवार है, वहीं वह शारीरिक विकास में भी रोड़ा है। बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं होती और वे कम उम्र में माता-पिता बनकर अयोग्य होकर रह जाते हैं। बिना पढ़ाई के जीविका की कठिनाई तथा जीवन शैली की नासमझी से, वे अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कारों से पुष्ट नहीं कर पाते तथा स्वयं भी आर्थिक विपन्नता के साथ बदहाल जीवन जीने को विवश हो जाते हैं। इस तरह से पूरी की पूरी पीढ़ी अकर्मण्यता तथा अशिक्षा का शिकार होकर समाज, राष्ट्र एवं परिवार सबके लिए संकटपूर्ण बन जाती है।

बालकों के लिए विवाह योग्य आयु 21 वर्ष और बालिकाओं के लिए 18 वर्ष मानी गयी है। इस उम्र तक आने तक बालक-बालिकाएं प्रारंभिक शिक्षा अर्जन के बाद जहां जीविका के योग्य हो जाते हैं, वहीं वे शारीरिक रूप से भी सक्षम हो जाते हैं। इस उम्र तक वे माता-पिता बनने के सर्वथा योग्य होते हैं। अल्पायु में माताएं बनने वाली बालिकाएं बार-बार बच्चों को जन्म देने से तथा कुपोषण के कारण अकाल काल का ग्रास बन जाती हैं। इसके अलावा कम उम्र की बालिकाएं कई बार तो प्रथम प्रसव के समय मौत के मुंह में चली जाती हैं। उनका शारीरिक विकास रुक जाता है तथा वे असमय ही अनेक रोगों का शिकार होकर जीवन को नरक बनाकर जीती हैं। पति-पत्नी कमजोर होते हैं तथा उनका मानसिक विकास भी थम जाता है। वे कुंठाग्रस्त होकर स्वभाव से चिड़चिड़े बन जाते हैं। वे दाम्पत्य जीवन का भी आनंद नहीं ले पाते तथा आपसी मनमुटाव के कारण पारिवारिक बिखराव का कारण बन जाते हैं। इस तरह से बाल-विवाह की हानियां कम नहीं हैं।

इन विवाहों में बेमेल विवाह भी कर दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ या तो बालक 5 वर्ष का और बालिका तेरह-चौदह वर्ष की अथवा बालिका 3 वर्ष की और बालक पन्द्रह-सोलह साल का। इस तरह एक के युवा हो जाने पर अबोध कच्ची उम्र के वर या वधू को शारीरिक उत्पीड़न झेलना पड़ता है। इससे जहां विलग होने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। मनोनुकूल साथी न मिल पाने की पीड़ा लिये दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे को कोसने लगते हैं। यौन कुंठायें भी बढ़ती हैं तथा उनकी काया में अनेक मनोरोग अपना घर बनाने लगते हैं। शारीरिक अनाचार व यौनाचार से क्षुब्ध मानव मन एक भय से सदैव आशंकित रहने लगता है और विवाह आनंद का विषय न होकर विवाद का कारण बन जाता है। भारतवर्ष में बढ़ते बाल-विवाहों को लेकर अब तक चिन्ता व्यक्त की जाती रही है लेकिन ये रुक नहीं पाये हैं।

कानूनी रूप से भी बाल विवाहों को प्रतिबंधित किया गया है — लेकिन राजनीतिक लाभ-हानि के गणित से राजनेता अथवा सरकारें सख्ती नहीं कर पातीं तथा कानून बेअसर होकर रह जाता है। जो लोग ऐसे विवाह रोकने के लिए जागरूकता का परिचय देते हैं, वे सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो जाते हैं अथवा उन्हें प्रतिशोधस्वरूप शारीरिक यातनाओं के अलावा कभी-कभी अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। पुलिस अथवा कानून तब

तक अपना काम नहीं कर पाता, जब तब कि उन्हें इसकी शिकायत न मिल जाये। इसलिए बाल-विवाह प्रतिबंधित अधिनियम के होने, न होने की सार्थकता पर प्रश्नचिन्ह लगा का लगा रह जाता है। राजनीतिक प्रभाव तथा सत्ता में पहुंच से भी बाल विवाह को रोका जाना जटिल हुआ है। हमारे यहां इस कारण कानून भी अपना पूर्ण कार्य नहीं कर पाते हैं। इनके अलावा भी बाल विवाह मूलतः अशिक्षा तथा निरक्षरता की देन है, इसलिए साक्षरता बढ़ाकर ही बुराई से लड़ा जा सकता है। जब तक इसके हानि-लाभ का ज्ञान लोगों को नहीं होगा, तब तक वे इसे नहीं छोड़ पायेंगे।

बाल विवाहों के खिलाफ जन आंदोलन की आवश्यकता है। जागरूकता के बिना सामाजिक बुराइयों का समूल उन्मूलन बहुत ही कठिन है। इसलिए सरकार को कानून की कार्यवाही से ज्यादा इसके खिलाफ मुहिम को तेज करना चाहिए। ऐसे सामाजिक जन-जागरण अभियान को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोग जान सकें कि बच्चों का अबोध उम्र में विवाह किया जाना शारीरिक, मानसिक एवं जीवनोपयोगी दृष्टि से सर्वथा व्यर्थ है। सामाजिक विकास का पुष्ट आधार पाने के लिए जहां अशिक्षा उन्मूलन आज की पहली जरूरत है, वहीं बाल-विवाहों के विरुद्ध चेतना जमाना भी हमारी अपनी प्राथमिक आवश्यकता है। स्वयंसेवी संगठनों को भी पहल करनी चाहिए तथा समाज में व्याप्त इस बुराई को मिटाने का संकल्प लेना चाहिए। यदि समय रहते इस बुराई को नहीं मिटाया गया तो, वह दिन दूर नहीं है, जब हम नव विकास की छाया में भी पिछड़ेपन की बदनामी को भुगतने को विवश होंगे तथा देश के नक्शे पर सदियों से लगे इस दाग से हम मुक्त नहीं हो सकेंगे।

बाल-विवाहों पर स्वयं अभिभावकों को भी जागृत होना होगा। उन्हें सोच का पुराना चोला उतारना होगा तथा नयी रोशनी में एक सुसंस्कृत पीढ़ी तैयार करने के लिए बाल एवं बेमेल विवाहों की ओर से मुंह मोड़ना होगा। जो लोग बाल विवाह करते हैं, उनका पढ़े-लिखे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। सामाजिक विषमताएं बढ़ने से ऐसे लोग होश में आयेंगे। अबोध बच्चों पर होने वाले इस बलात् कृत्य पर ध्यान देना हमारा कर्तव्य बनता है, इसकी तरफ से आंख मींचना हमारे अपने सुसभ्य एवं सुसंस्कृत होने पर प्रश्नचिन्ह है। अबोध उम्र का अनुचित लाभ उठाना या दहेज के लोभ लालच में विवाह जैसा शुभ कार्य निपटा लेना कानूनी और सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल अनुचित है। इससे बचने के हमें भरसक प्रयत्न करने चाहिए। बाल-विवाह कम उम्र के बच्चों पर थोपा गया अनाचार है, जो उसके भविष्य को अनेक दृष्टियों से अंधकार में धकेलता है।

124/61-62, अग्रवाल फार्म,
मानसरोवर, जयपुर - 302020

बाल भारती

बच्चों की यह आकर्षक मासिक पत्रिका हिन्दी में प्रकाशित होती है। इसमें सचित्र कहानियां और ज्ञानवर्धक लेख तथा अन्य सामग्री प्रकाशित की जाती है।

चन्दे की दरें

एक प्रति	3.00
वार्षिक	30.00
द्विवार्षिक	54.00
त्रिवार्षिक	72.00

ट्राइसेम योजना - आगरा जनपद का मूल्यांकन

डा० पी० के० शर्मा* एवं एस० के० शर्मा**

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आरंभ तक नियोजन का लक्ष्य समृद्धि के उच्चतर प्रतिमानों को प्राप्त करना था। फलतः राष्ट्रीय आय की वृद्धि और आधारभूत ढांचे को शक्तिशाली बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। यह सोचकर कि विकास के फलस्वरूप बेरोजगारी की समस्या का स्वतः समाधान हो जाएगा 'विकास' को ही आर्थिक नीति का केन्द्र बिन्दु बनाया गया। लेकिन 'विकास के लिए विकास' की इस नीति के परिणाम अधिक उत्साहवर्धक नहीं रहे। अतः यह आवश्यक समझा गया कि ग्रामीण समाज के बेरोजगार और कमजोर वर्गों के लिए रोजगार सृजन हेतु प्रत्यक्ष प्रयास किए जाएं। इस परिप्रेक्ष्य में ट्राइसेम योजना, (ग्रामीण युवा एवं रोजगार कार्यक्रम) समन्वित ग्राम्य विकास योजना की एक सहयोजना के रूप में वर्ष 1979 से देश में आरंभ की गई है। इस योजना के संचालन के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों की 50:50 की भागीदारी निर्धारित की गई है। इस योजना में ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार प्रशिक्षण इस आशय से प्रदान किया जाता है जिससे वह अधिक निपुण और जोखिम वहन करने योग्य, स्वरोजगार के व्यवसाय अपनाने में समर्थ हो सकें।

इस योजना में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए लघु कृषक, मजदूर तथा ग्रामीण शिल्पकार एवं दस्तकारों के युवक/युवतियों का चयन समन्वित ग्राम्य विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों के चयन की भांति ग्राम सभा की बैठक में किया जाता है। चयन में अनुसूचित जाति के परिवारों के युवक/युवतियों के लिए 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही महिलाओं के लिए भी 40 प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। प्रशिक्षण पाने वालों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति भी दी जाती है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। कि एक वर्ष में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के एक ही व्यक्ति को प्रशिक्षण के लिए चुना जाए। प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत व्यवसाय आरंभ करने के लिए अधिक से अधिक तीन हजार रुपये के अनुदान के साथ ऋण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होती है।

ट्राइसेम योजना जिसे आरंभ हुए लगभग डेढ़ दशक का समय व्यतीत हो चुका है। इससे ग्रामीण युवकों/युवतियों को अपना स्वयं का रोजगार प्राप्त करने के लिए अब तक आगरा जनपद में ही 8000 युवकों/युवतियों की प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इस अध्ययन के द्वारा आगरा जनपद में इसकी सार्थकता तथा व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षित लाभार्थियों द्वारा स्वयं की रोजगार इकाई स्थापित करने की स्थिति, वित्त, निवेश, आय में वृद्धि तथा उन कारणों का अध्ययन किया गया है जो इस योजना की सफलता एवं असफलता के लिए उत्तरदायी हैं।

इस अध्ययन के लिए आगरा जनपद के 15 विकास खंडों में से तीन विकास खंड (बिचपुरी, अकोला एवं एत्मादपुर) को चयनित किया गया। ट्राइसेम योजना का मुख्य उद्देश्य युवकों को प्रशिक्षण देकर स्वतः रोजगार इकाई स्थापित करने के लिए तैयार करना होता है। इसके लिए ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र को चुनना आवश्यक था जहां पर विभिन्न तकनीकी ट्रेड्स के लिए प्रत्येक विकास खंड के प्रशिक्षणार्थी उचित प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं। यह केन्द्र क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बिचपुरी में स्थित है। अतः इस केन्द्र पर 1990 से 1993 तक जिन प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया उन सभी को अध्ययन के लिए चयनित किया गया। ऐसे प्रशिक्षणार्थियों की संख्या लगभग 500 थी लेकिन आंकड़े एकत्रित करते समय 412 प्रशिक्षित युवक/युवतियों से ही साक्षात्कार किया जा सका। इनसे जो आंकड़े प्राप्त हुए उनका विश्लेषण करने के उपरांत जो तथ्य प्रकाश में आए उनको प्रस्तुत किया जा रहा है।

अध्ययन के परिणाम एवं व्याख्या

ट्राइसेम योजना का अंतिम लक्ष्य लाभार्थियों को रोजगार में स्थापित करना है। अतः रोजगार में स्थापित लाभार्थियों की संख्या, स्थापित होने में बैंकों से ऋण की सुविधा, तैयार माल का वितरण तथा रोजगार से प्राप्त आय आदि को प्रस्तुत किया गया है।

ट्राइसेम योजना के लाभार्थियों की रोजगार में स्थापित होने की स्थिति

आगरा जनपद के चयनित लाभार्थियों (युवक/युवती) ने प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार प्राप्त करने में जो स्थिति प्राप्त की है, उसका विस्तृत विवरण सारिणी-1 में प्रस्तुत किया गया है।

सारिणी-1 प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार में स्थापित लाभार्थियों का विवरण

रोजगार का विवरण	चयनित विकास खण्ड						सम्पूर्ण योग		
	विचपुरी		अकोला		एत्मादपुर		युवक	युवती	कुल
	युवक	युवती	युवक	युवती	युवक	युवती			
1. स्वतःरोजगार में स्थापित हुये	17	21	19	15	16	09	52	45	97
2. सवेतन रोजगार प्राप्त हुआ	04	–	03	01	02	–	09	01	10
3. रोजगार में स्थापित नहीं हो सके	36	40	20	22	31	12	87	74	161
4. रोजगार में स्थापित होने का प्रयत्न नहीं किया	11	29	26	21	14	10	51	60	111
5. ट्रेड से हट कर रोजगार में स्थापित	03	07	08	05	06	04	17	16	33
सम्पूर्ण	71	97	76	64	69	35	216	196	412

सन्दर्भित सारिणी के विश्लेषण को दृष्टिगत करके कहा जा सकता है कि चयनित लाभार्थियों में से लगभग 107 प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार में स्थापित हो सके हैं जिनमें से 97 स्वतःरोजगार में (प्रशिक्षण ट्रेड के अनुसार) तथा केवल 10 को दूसरे स्थानों पर सवेतन रोजगार मिला है। चयनित लाभार्थियों में से लगभग 33 ऐसे लाभार्थी भी थे जिन्हें रोजगार तो प्राप्त हुआ है लेकिन उनके ट्रेड के अनुसार नहीं। अतः यह लाभार्थी ट्राईसेम योजना के प्रशिक्षण को रोजगार प्राप्त करने में सहायक नहीं समझते।

सम्पूर्ण चयनित लाभार्थियों में से लगभग 272 (66 प्रतिशत) ने अभी तक कोई रोजगार आरंभ नहीं किया। इनमें से लगभग 111(27 प्रतिशत) इसके लिये उदासीन थे क्योंकि उन्होंने अभी कोई प्रयत्न ही नहीं किया है। अतः सम्पूर्ण स्थिति का गहनता से अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि ट्राइसेम योजना लगभग एक चौथाई लाभार्थियों को ही रोजगार में स्थापित करने में सफल हुई है। आज जबकि गांव में रोजगार प्राप्त करना एक कठिन कार्य है, इस स्थिति को संतोषप्रद माना जा सकता है।

स्वतः रोजगार में स्थापित होने हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करने का विवरण

ट्राइसेम योजना के लाभार्थी सामान्यतः वही होते हैं जिनके परिवार गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। अतः प्रशिक्षण के उपरांत स्वतः रोजगार में स्थापित होने के लिये उन्हें ऋण की आवश्यकता होती है। बैंक आवेदनकर्ता के व्यवसाय, जिसके लिये वह ऋण लेना चाहता है, जानकारी प्राप्त कर ऋण प्रदान कर देता है। यदि जांच से बैंक संतुष्ट नहीं होता और समझता है कि इससे रोजगार तथा आय में वृद्धि नहीं होगी तो वह ऋण के लिये मना भी कर सकता है। सारिणी - 2 में ऋण प्राप्त करने संबंधी जानकारी से अवगत कराया गया है।

सारिणी - 2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कुल 412 चयनित लाभार्थी जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था उनमें से लगभग आधे लाभार्थियों ने ही स्वतः रोजगार में स्थापित होने के लिए बैंकों में ऋण के लिए आवेदन किया था। आवेदनकर्ताओं में मुख्य रूप से पुरुष लाभार्थी ही पाये गये। बैंकों ने आवेदकों के प्रार्थना पत्र पर विचार कर लगभग 53 प्रतिशत आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराया। ऋण की मात्रा आवेदकों की परियोजना के अनुसार 4500 से 10,000 रुपये तक स्वीकृत की गई। लगभग 38% लाभार्थियों ने ऋण के लिए आवेदन ही नहीं किया था जबकि 11% को ऋण की आवश्यकता नहीं थी।

लाभार्थियों द्वारा स्वतः रोजगार स्थापित न करने के कारण

चयनित 412 लाभार्थियों ने ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया था जिनका मुख्य उद्देश्य स्वतः रोजगार इकाई स्थापित कर रोजगार सृजन तथा आय में वृद्धि कर गरीबी रेखा से ऊपर उठना था। सारिणी-3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयनित लाभार्थियों में से 315 ने सर्वेक्षण के समय तक रोजगार इकाई स्थापित नहीं की थी। जब इसका कारण जानना चाहा तो कई कारण प्रकाश में आए जो इकाई स्थापित करने में सीधे बाधक थे। ये सारिणी-3 में दर्शाये गये हैं।

कारणों में सर्वाधिक प्रबल कारण लाभार्थियों का अधूरा ज्ञान था जो लगभग 29 प्रतिशत लाभार्थियों को प्रभावित कर रहा था। विस्तृत जानकारी प्राप्त करने से ज्ञात हुआ कि इनमें से अधिक संख्या उन लाभार्थियों की थी जिन्होंने लगन से पूरा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया तथा मिलने वाली छात्रवृत्ति को ही आय समझकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रकार के अर्ध ज्ञान से प्रभावित सर्वाधिक (30.77 प्रतिशत) लाभार्थी विचपुरी विकास खण्ड के थे।

सारिणी - 2
ऋण प्राप्त करने का विवरण

विवरण	विकास खंड						सम्पूर्ण योग	
	विचपुरी		अकोला		एत्मादपुर		संख्या	%
	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%		
ऋण हेतु आवेदन किया	83	49.40	69	49.28	56	53.85	208	50.48
आवेदन नहीं किया	67	39.88	55	39.28	36	34.61	158	38.35
आवश्यकता नहीं	18	10.72	16	11.44	12	11.54	46	11.17
योग	168	100	140	100	104	100	412	100
ऋण प्राप्त हुआ	43	-	36	--	31	–	110	–
ऋण प्राप्ति का %	51.80	–	52.17	–	55.36	–	52.88	–

बैंक से ऋण की प्राप्ति तथा ऋण की अपर्याप्तता दूसरा प्रमुख कारण था। इसकी कमी से लगभग 30 प्रतिशत लाभार्थी इकाई स्थापित करने में अपने को असहाय समझते थे। जिस ट्रेड में लाभार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था उसकी इकाई स्थापित करने पर माल की बिक्री तथा पर्याप्त बाजार सुविधा के अभाव के कारण लगभग 15 प्रतिशत लाभार्थियों ने इकाई स्थापित नहीं की थी। कच्चे माल की उपलब्धता की कमी के कारण लगभग 13 प्रतिशत लाभार्थियों में हतोत्साहित होकर इकाई स्थापित नहीं की थी। कच्चे माल की उपलब्धता की कमी के कारण लगभग 13 प्रतिशत हतोत्साहित होकर इकाई स्थापित नहीं कर पाये थे क्योंकि उन्हें सवेतन रोजगार मिल गया और कुछ दूसरे रोजगार में स्थापित हो

सारिणी-3 : स्वतः रोजगार इकाई स्थापित न करने के कारणों का विवरण

क्रमांक	कारण	विकास खण्ड						संपूर्ण योग	
		विचपुरी		अकोला		एत्मादपुर			
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1.	प्रशिक्षण में पूर्ण कुशलता न प्राप्त होना।	40	30.77	30	28.30	21	26.58	91	28.89
2.	बैंक से ऋण न मिलना	24	18.46	18	16.98	16	20.25	58	18.41
3.	विपणन/बाजार का अभाव	20	15.38	17	16.04	10	12.66	47	14.92
4.	कच्चे माल का अभाव	18	13.85	14	13.21	08	10.13	40	12.70
5.	सवेतन रोजगार का मिलना	04	03.08	04	03.78	02	02.53	10	03.17
6.	ऋण अपर्याप्तता	14	10.77	10	09.43	12	15.19	36	11.43
7.	अन्य रोजगार में स्थापित हो जाना	10	07.69	13	12.26	13	12.66	33	10.48
	योग	130	100.0	106	100.0	79	100.0	315	100.0

गए थे।

अतः उक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि लाभार्थियों को प्रशिक्षण तो आसानी से प्राप्त हो जाता है लेकिन अभी बहुत से ऐसे कारण हैं जो उन्हें स्वतः रोजगार इकाई स्थापित करने में बाधक हैं जिनका निदान करना योजना की सफलता के लिए अति आवश्यक है।

ट्रेड के अनुसार स्थापित स्व रोजगार इकाइयों तथा उनसे होने वाली आय

ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले चयनित लाभार्थियों (412) में से लगभग 24 प्रतिशत ने ही अब तक स्व रोजगार इकाइयां स्थापित की थीं। इन इकाइयों से लाभार्थियों को कितनी आय होती है इसका विवरण ट्रेडों के अनुसार सारिणी-4 में प्रस्तुत किया गया है।

सारिणी-4 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जिन लाभार्थियों ने प्रशिक्षण के उपरान्त विभिन्न ट्रेडों की इकाई स्थापित की थी उनसे वह औसतन प्रतिमाह 437 रुपये की आय प्राप्त कर रहे थे। सर्वाधिक 23 इकाइयां रेक्सिन तथा चमड़ा उद्योग की स्थापित की गई जो कि विकास खण्ड विचपुरी तथा अकोला के लाभार्थियों द्वारा ही की गई थी। इन इकाइयों में औसत आय 369 रुपये प्रति माह प्रति इकाई आंकी गई। सर्वाधिक (रु० 596) औसत मासिक आय वह लाभार्थी अर्जित कर रहे थे जिन्होंने मोटर बाइडिंग ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त कर स्व रोजगार की इकाई स्थापित की थी। इस ट्रेड की इकाई में विचपुरी विकास खण्ड के लाभार्थी सर्वाधिक (रु० 620) औसत मासिक आय प्राप्त करते पाये गये। अन्य ट्रेड की इकाइयां जो 500 रुपये प्रतिमाह से अधिक आय दे रही थीं वह थी इलक्ट्रीशियन, हैण्ड पम्प मरम्मत, एवं हिन्दी टंकण जिसकी 14 इकाइयां स्थापित की गई थी उनसे प्रति माह लाभार्थी औसतन 473 रुपये की आय प्राप्त कर रहे थे। वह इकाइयां जो 400 रुपये से कम आय दे पा रही थी उनमें प्रमुख थी मूंजबान उद्योग, दोना पत्तल उद्योग, सिलाई तथा अम्बर चर्खा।

सारिणी - 4 : ट्रेड के अनुसार स्थापित इकाइयों तथा उनसे होने वाली मासिक आय (रुपये में)

क्र०	नाम ट्रेड	विकास खण्ड						संख्या	औसत आय
		विचपुरी		अकोला		एत्मादपुर			
		संख्या	औसत आय	संख्या	औसत आय	संख्या	औसत आय		
1.	इलैक्ट्रीशियन	03	595	05	527	03	491	11	536
2.	मोटर बाइडिंग	04	620	02	605	02	540	08	596
3.	डीजल इंजन	-	-	02	412	-	-	02	412
4.	वेल्डिंग	-	-	01	385	01	415	02	400
5.	हिन्दी टंकण	06	505	05	482	03	395	14	473
6.	फोटोग्राफी	02	428	02	300	03	475	07	437
7.	हैण्ड पम्प मरम्मत	-	—	-	-	01	530	01	530
8.	रेडियो एवं टी.वी. मरम्मत	03	522	02	477	02	605	07	533
9.	मूंज बान उद्योग	-	-	02	354	02	322	04	338
10.	रैक्सिन/चमड़ा उद्योग	18	356	05	415	-	-	23	369
11.	रेशम कीट पालन	-	-	-	—	03	250	03	250
12.	दोना पत्तल उद्योग	-	-	04	312	-	-	04	312
13.	सिलाई	-	-	03	256	02	350	05	294
14.	अम्बर चर्खा	-	-	-	-	03	310	03	310
15.	बढ़ईगिरी	02	412	01	525	-	-	03	450
	योग	38	460	34	427	25	414	97	437

निष्कर्ष

प्रस्तावित अध्ययन का विस्तृत विश्लेषण करने के उपरांत यह कहना उचित और व्यावहारिक नहीं होगा कि ट्राइसेम योजना ग्रामीण युवकों के लिए स्वतः रोजगार प्रदान करने में पूर्णतः सफल हुई है। जैसा कि स्पष्ट है कि अध्ययन के लिए चयनित लाभार्थियों में से एक चौथाई प्रशिक्षणार्थी भी स्वतः रोजगार इकाई स्थापित करने में असमर्थ रहे हैं जो कि किसी भी शुभ संकेत को नहीं दर्शाता है। जहां तक बैंकों से ऋण प्रदान करने का प्रश्न है मात्र 50 प्रतिशत लाभार्थियों ने ही बैंकों से ऋण के लिए आवेदन किया और उनमें से लगभग आधे लाभार्थी ऋण प्राप्त होने पर भी बहुत बड़ी संख्या में उसका सदुपयोग करने में असमर्थ रहे। इसके लिए कारण चाहे जो भी रहे हों लेकिन जो प्रमुख कारण प्रकाश में आया उसमें लाभार्थियों का प्रशिक्षण में कुशलता प्राप्त न करना ही था। अतः आवश्यकता इस बात की है कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिन प्रशिक्षणार्थियों ने स्वतः रोजगार इकाई स्थापित कर भी ली है वह भी उससे प्राप्त आय के अनुसार संतोषप्रद नहीं है। अतः निष्कर्ष रूप में यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि ट्राससेम योजना के लाभार्थियों को रोजगार में स्थापित होने तथा उस रोजगार से प्राप्त आय को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता, ऋण की पर्याप्त उपलब्धता, निर्मित माल के विपणन तथा समय-समय पर नवीन तथा तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करना होगा।

41, प्रोफेसर्स कालोनी,
विचपुरी, आगरा-283105

सफलता की कहानी

आशा की किरण

अखिल कुमार नामदेव

राजगढ़ जिले के 'उदनखेड़ी' ग्राम से गुजरते आगरा-बम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर 21 वर्षीय युवक दुर्गाप्रसाद का 'दुर्गा होटल' मुसाफिरों की चहल-पहल से रात दस बजे तक गूंजता रहता है। काउंटर पर बैठा दुर्गा और उसके होटल के दो कर्मचारी अपने ग्राहकों की सेवा में दिन भर व्यस्त रहते हैं।

ग्राम उदनखेड़ी का निवासी दुर्गाप्रसाद अपने बीते दिन याद करते हुए बताता है कि करीब पांच वर्ष पूर्व उसके पिता श्री मांगीलाल सोनगार ने दुर्गा के लिए इसी होटल की जगह चाय की एक गुमटी खुलवाई थी। चार वर्ष पूर्व दुर्गा का विवाह हुआ और कुछ समय बाद ही उसे अपने परिवार से अलग होना पड़ा। किशोर अवस्था के दुर्गा और उसकी पत्नी की जीविका चाय की इस गुमटीनुमा दुकान से बड़ी मुश्किल से चलती थी। हालात से मजबूर दुर्गा और उसकी पत्नी को आधा पेट भोजन ही नसीब हो पाता था।

सन् 1992 में उदनखेड़ी पंचायत के ग्राम सेवक (ग्रामीण विकास) ने दुर्गा को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत काम धन्धे के लिए ऋण देने की सरकार की योजना की जानकारी देते हुए चाय की गुमटी के स्थान पर स्वल्पाहार देने वाला होटल खोलने की सलाह दी।

दुर्गा प्रसाद को आशा की किरण दिखाई दी और उसने 'समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम' के तहत होटल खोलने के लिए ऋण का आवेदन पत्र पंचायत के माध्यम से प्रस्तुत किया। आशानुरूप ही फरवरी और मार्च 93 के दौरान दुर्गा को उदनखेड़ी के स्टेट बैंक आफ इंदौर से 9,000 रुपये दो किश्तों में ऋण के रूप में प्राप्त हो गये।

दुर्गा ने फौरन होटल चलाने के लिए आवश्यक फर्नीचर और बर्तन खरीदे और होटल शुरू कर दिया। मेहनत रंग लाई, दुर्गा का होटल चल निकला और उसने दो लोगों को सहायता देने के लिए नौकरी पर रख लिया। अब दुर्गा को अपने सामान की लागत और आदमियों की मजदूरी देने के बाद रोजाना लगभग 60 से 100 रुपये की कमाई हो जाती है। वह अपनी पत्नी तथा डेढ़ वर्षीय पुत्र के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा है।

दुर्गा ने कुछ समय पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराई जा रही टेलीफोन सुविधा का लाभ लेते हुए 700 रुपये जमा कर एक टेलीफोन भी लगवा लिया है। दुर्गा बिना भूले प्रतिमाह 200 रुपये के हिसाब से बैंक की किश्तें भी लौटा रहा है।

क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, राजगढ़

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एल) 12057/93
पूर्व भुगतान के बिना डी. पी.एस.ओ. दिल्ली में डाक में डालने
की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/57
P&T Regd No. D (DL) 12057/93
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at DPSO, Delhi-54

एक सरल एवं उच्चकोटि की 'परीक्षोपयोगी सीरीज'

आपकी परीक्षाओं की जिज्ञासाओं को ध्यान में रखते हुए
प्रतियोगिता दर्पण
हिन्दी मासिक
समाधान आपके सामने रखती है.

इसी श्रृंखला में सिविल सेवा एवं राज्य सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन की बेहतर तैयारी के लिए प्रस्तुत हैं—चार अतिरिक्तांक 1994

विश्वसनीय, नवीनतम और परीक्षोपयोगी

भारतीय अर्थव्यवस्था मूल्य : 40/-

हिन्दी की
सर्वाधिक बिकने वाली
सामान्य ज्ञान पत्रिका

जब
सामान्य अध्ययन
के उपलब्ध हैं
अतिरिक्तांक
क्या करेंगे मात्र
विशेषांक ?

भूगोल-भारत एवं विश्व मूल्य : 45/-

भारतीय इतिहास मूल्य : 40/-

भारतीय राजव्यवस्था मूल्य : 40/-

नवीन संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण

आज ही अपने निकटतम पुस्तक विक्रेता से खरीदें और अपनी तैयारी को नया आयाम दें

प्रतियोगिता दर्पण
2/11 A, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा—282 002
फोन : 361015, 51002; फैक्स : (0562) 361014

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली - 110001 द्वारा प्रकाशित और आकाशदीप प्रिन्टर्स, नई दिल्ली - 110002 द्वारा मुद्रित